सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-07 | 7 से 21 अप्रैल 2017 | मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

"जब किसी देश में तार्किक एवं वैज्ञानिक दिमागी रुझान, बहस-मुबाहिसे की मानसिकता समाप्त हो जाती है, तो हर तरह के प्रतिक्रियावादी व पुरातनपंथी विचार व चिन्तन को फैलाने का, समाज की पूरी जिन्दगी को दलदल में धंसा देने का सुनहरा मौका मिल जाता है। इन हालात में अगर निम्न तीन चीजें (1) राष्ट्रवाद पर आधारित उन्माद, (2) परम्परावाद व अध्यात्मवाद और (3) समाजवाद के झिझले विचारों और क्रान्ति व प्रगति के अस्पष्ट नारों को एक साथ पिरो दिया जाता है तो फासीवाद के जन्म व वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ जमीन तैयार हो जाती है।"

– कॉमरेड शिवदास घोष

घृणित फाइनेन्स बिल की एसयूसीआई(सी) ने की कड़ी निंदा

31 मार्च, 2017 को एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने घृणित फाइनेन्स बिल की कड़ी निन्दा करते हुए निम्नलिखित बयान जारी किया :

"संसद ने जो फाइनेन्स बिल पास किया है वह हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फण्ड की पारदर्शिता की जड़ पर ही प्रहार करता है। पहली बात तो यह है कि चुनावी बॉण्डों के प्रावधान ने राजनीतिक पार्टियों को अज्ञात डोनेशन देने का रास्ता खोल दिया है। इन बॉण्डों के जरिये एक कारपोरेट घराना या एक माफिया डॉन या कोई भी दानकर्ता अपनी पहचान उजागर किये बिना राजनीतिक पार्टियों को भारी मात्रा में पैसे चंदे में दे सकता है। दूसरी बात यह है कि अंतिम क्षणों में एक संशोधन लाकर कारपोरेट घराने द्वारा दिये जाने वाले ऐसे अज्ञात राजनीतिक चंदे की रकम पर जो सीमा का प्रावधान था उसे हटा दिया गया। तीसरी बात यह है कि यह कानून दानकर्ता को अधिकार देता है कि वह लाभन्वित होने वाली राजनीतिक पार्टी के नाम को उजागर न करे। इस प्रकार दानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही अज्ञात रहते हैं। फण्डों के लेन-देन के बारे में मीडिया, सिविल सोसाइटी व आम जनता अंधेरे में रहेगी। अब तक यह एक खुला रहस्य था कि पूँजीपतियों की सेवा करने वाली तमाम शासक राजनीतिक पार्टियों को व्यापारिक घरानों द्वारा फण्ड मुहैया कराया जाता है। यह नया बिल इस दस्तूर पर कानूनी अनुमोदन का ठप्पा लगा देता है। आजादी आन्दोलन के दौरान राजनीतिक पार्टियाँ आम लागों से चंदा उगाह कर अपना कामकाज चलाती थी। अब शासक राजनीतिक पार्टियाँ पूँजीपतियों की सेवा करती हैं और कारपोरेट फण्डों से चलती हैं। स्वाभाविक है कि पार्टियाँ कारपोरेट घरानों की जर खरीद गुलाम बनकर रह गई हैं। इसने हमारी राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया है।

सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) इस बिल के घृणित प्रावधानों की कड़ी निंदा करती है और इनको वापस लेने की मांग करती है।

24 अप्रैल - एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) का स्थापना दिवस शिद्दत से मनायें

सभी जानते हैं कि अंग्रेजों का राज खत्म होने पर भी देश में किसान-मजदूरों और निम्न मध्यम वर्ग के आम लोगों का शोषण-उत्पीड़न बंद नहीं हुआ, न ही कंगाली, बदहाली और तंगहाली खत्म हुई। कॉमरेड शिवदास घोष खुद आजादी आन्दोलन की क्रान्तिकारी धारा में शामिल थे। उन्होंने अच्छे से समझ लिया था कि आजादी के बाद सत्ता में बैठे पूँजीपति वर्ग के शासन-शोषण से मुक्ति हासिल करने के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर जीवन के हर पहलू में चौतरफा संघर्ष गठित करने के सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन दिनों तमाम प्रतिकूल हालात में एक असाधारण संघर्ष चलाते हुए कॉमरेड शिवदास घोष ने इस देश के ठोस हालात में मार्क्सवाद को विकसित, विशेषीकृत व समृद्ध किया और इसी रास्ते 24 अप्रैल, 1948 में एक निराले ढंग की एकमात्र सही क्रान्तिकारी पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बनायी थी। आगामी 24 अप्रैल के दिन हम पार्टी का 69वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं।

इस वर्ष दुनिया भर में महान नवम्बर क्रान्ति का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आज से सौ साल पहले रूस में सफल हुई इस नवम्बर क्रान्ति ने पूँजीवादी राजसत्ता को उखाड़ फेंक कर मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार समाजवाद कायम किया था। इस शोषणहीन समाजवादी व्यवस्था ने समाज में सदियों से व्याप्त गरीबी, बीमारी, भुखमरी, बेरोजगारी, अनपढ़ता, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, नारियों के असम्मान व उत्पीड़न आदि के अभिशाप से छुटकारा दिलाया था जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई थी। सभी महापुरुषों और हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस नई सभ्यता का तहेदिल से अभिनन्दन किया था। इस महान नवम्बर क्रान्ति का शताब्दी वर्ष मनाने की कड़ी में हमारी प्रिय पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) का स्थापना दिवस – 24 अप्रैल एक गहरा तात्पर्य लेकर आया है।

आज देश में गहरे संकट के बादल छाये हुए हैं। संकट चौतरफा है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जीवन के मूल्यबोधों समेत हर क्षेत्र में संकट है। कांग्रेस सरकार के लम्बे कुशासन के बाद केन्द्र में नरेन्द्र मोदी और कई राज्यों में बीजेपी सरकार सत्तासीन है। यह सरकार भी ज्यादातर मामलों में पिछली सरकार के ही नक्शे कदम पर चल रही है। अपने शासनकाल के कुछ ही वर्षों में जनसेवा के नाम पर सेवा क्षेत्र में मिलने वाली सब्सिडी में भारी कटौती कर दी है, विदेशी प्रत्यक्ष पूँजीनिवेश(एफडीआई) का दरवाजा खोल दिया है, श्रम कानूनों को मालिकों के हक में बदल कर मजदूरों के तमाम अधिकार व सुविधाएं छीन ली हैं, रेल का किराया-भाड़ा बेतहाशा बढ़ा दिया है, पेट्रोल-डीजल के रेट बार-बार बढ़ाये गये हैं, रसोई गैस-मटिया तेल पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ी चालाकी से कटौती की गई है। इस तरह लोगों को कड़वी दवा पिलाई जा रही है। भारतीय परम्परा के नाम पर धर्मान्धता, रूढ़िवाद, उग्रराष्ट्रवाद, हिन्दू धर्म आधारित भावनाओं आदि को भड़का कर देश को उग्र साम्प्रदायिकता और जातीय दंगों की ओर धकेलने की बड़ी चालाकी से योजना बनाई जा रही है। जो धार्मिक कट्टरपंथी योजना चैतन्य-रामकृष्ण-विवेकानंद के विचारों के बिल्कुल विपरीत है। धार्मिक कट्टरता की जमीन तैयार करने के लिए इतिहास को भी तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। पाठ्यक्रमों में भारतीय

(शेष पृष्ठ 2 पर)

फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस पर जनसभा

नई दिल्ली: सभा को संबोधित करते हुए कॉ. शंकर साहा

नई दिल्ली : 30 मार्च 2017 को वर्ल्ड फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स ने फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस घोषित किया है। इस अवसर पर डब्ल्यू.एफ.टी.यू. से सम्बद्ध भारतीय ट्रेड यूनियन संगठनों – एटक, सीटू, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, टीयूसीसी तथा यूटीयूसी ने बी टी आर भवन, नई दिल्ली में एक जनसभा का आयोजन किया। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत माननीय अदनान आबू अहैजा तथा अन्य गणमान्य अतिथियों के अलावा दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आए सैकड़ों मजदूरों ने सभा में हिस्सा लिया। सभा का संचालन एक अध्यक्ष मण्डल ने किया जिसमें एआईयूटीयूसी का प्रतिनिधित्व सचिव मण्डल सदस्य कॉमरेड सत्यवान ने किया। सभा की शुरूआत में सीटू के महासचिव कॉमरेड तपन सेन ने एक घोषणा पत्र रखा। इसके बाद फिलिस्तीन के राजदूत ने अपना भावपूर्ण वक्तव्य रखा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह साम्राज्यवाद के सरगना अमेरिका से संरक्षण और समर्थन के दम पर इस्राइल ने फिलिस्तीनी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है और आए दिन फिलिस्तीनी जनता पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और किस तरफ फिलिस्तीन की बहादुर जनता इस अवैध कब्जे और जुल्मों के खिलाफ लड़ रही है। सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया। एआईयूटीयूसी की ओर से संगठन के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा ने जो वक्तव्य रखा उसे नीचे दिया जा रहा है।

कॉमरेड शंकर साहा का भाषण

फिलिस्तीन के राजदूत माननीय अदनान आबू अहैजा, अध्यक्ष मण्डल और साथियो,

आज हम भूमि दिवस की वर्षगांठ और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स के आह्वान पर दुनिया भर में मनाए जा रहे फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। माननीय राजदूत अदनान आबू अहैजा व मेरे अन्य साथियों ने विस्तार से फिलिस्तीन के हालात और वहाँ की बहादुर जनता के संघर्ष पर प्रकाश डाला है तथा अमेरिकी-इस्राइल गठजोड़ द्वारा वहाँ पर ढाए जा रहे जुल्मों का वर्णन किया है। इस अवसर पर मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आज अगर यू.एस.एस.आर. के नेतृत्व में समाजवादी खेमा बरकरार रहता, तो ऐसे हालात पैदा नहीं होते। हम सभी जानते हैं कि भारत सहित जिन देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता हासिल की है, वे समाजवादी खेमे के ऋणी हैं। वे रूसी मेहनतकशों के आभारी हैं जिन्होंने हिटलर को परास्त करने के लिए बड़ी भारी कुर्बानियाँ दी थी।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) स्थापना...

(पृष्ठ 1 का शेष)

नवजागरण काल के धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद और आजादी आन्दोलन की समझौताहीन संघर्ष की धारा के क्रान्तिकारियों के जीवन के बारे में जिक्र तक बंद किया जा रहा है। पुलिस बर्बरता आज भी जारी है। जन आन्दोलनों को बेरहमी से कुचला जा रहा है। कारपोरेट पूँजीपति बेखटके लूट मचा रहे हैं। पुलिस-प्रशासन की छत्रछाया में प्रतिक्रियावादी ताकतें अपना मनहूस सिर उठा रही हैं जो समाज के बचे-खुचे जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक ताने-बाने को तार-तार करने पर उतारू हैं। कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया था कि आये दिन नई मशीनों और हथियारों के उत्पादन के लिए पूँजीपति विज्ञान के तकनीकी पहलू का तो इस्तेमाल करते हैं परन्तु विज्ञान की मर्मवस्तु का लोप करके उसमें विज्ञान-विरोधी और तर्क-विरोधी धर्मान्धता का सम्मिश्रण करते हैं जिससे फासीवाद का खतरा पनपता है जो मानव सभ्यता का घोर दुश्मन है। आज भारत समेत समस्त पूँजीवादी दुनिया में फासीवाद का खतरा एक आम अशुभ लक्षण के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चुनावों से पहले नरेन्द्र मोदी ने 'अच्छे दिन लाने' का नारा दिया था। लेकिन नेक सोच के विचारवान लोगों को अब घोर बुरे दिनों की बिजली गिरने के संकेत नजर आने लगे हैं। विदेशों में जमा काला धन बरामद करने का वादा भी चुनावी जुमला साबित हो चुका है।

देश-प्रदेश में किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम न मिलने से वे कर्ज-जाल में फंसते जा रहे हैं। फसलों के खराबे का मुआवजा सरकारी खजाने से देने की बजाय उन्हें बीमा कम्पनियों की लूट का शिकार बनाया जा रहा है। लिहाजा वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। परन्तु उनके बैंक कर्ज माफ करने की बजाय धनकुबेरों के बैंक कर्ज बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं। कल-कारखाने बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों को सारा साल काम नहीं मिलता है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन बहुत ही कम है। इस महंगाई में इतने कम वेतन में उनके परिवार का गुजारा नहीं होता है। सभी सक्षम बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की कोई नीति ही नहीं है, न ही जीने लायक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। स्थायी-पक्की नौकरियां की जगह तमाम कायदे-कानून ताक पर रख कर डीसी रेट पर अपने चहेतों को लगाकर भ्रष्टाचार मचाया हुआ है। सब्सिडी वापस लेने के बहाने 108 जीवनरक्षक दवाइयों, खाद, रसोई गैस, बिजली आदि रोजमर्रे की इस्तेमाल की चीजों के दाम बार-बार बढ़ाये गये हैं। डिजिटल राशन कार्डो को लेकर जो बेतुकापन है उससे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। जमीन घोटाले कांग्रेस के शासनकाल की तरह ही हो रहे हैं। शिक्षा में पास-फेल चालू न होने और फीस वृद्धि व व्यापारीकरण की सरकारी नीति से शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सरकारी हस्पतालों में बुनियादी ढांचागत अव्यवस्था और जनता की लाचारी का फायदा उठाते हुए प्राइवेट हस्पतालों द्वारा बेलगाम फीस बढ़ाये जाने से लोगों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। नशाखोरी व शराबखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रचार माध्यमों से अश्लीलता, नग्नता व हिंसा परोसी जा रही है। इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं व बच्चियों से दिल दहला देने वाले दुष्कर्म हो रहे हैं।

हमारा मानना है कि इन हालात में चौतरफा आमूलचूल बदलाव लाने के लिए क्रान्ति होनी चाहिए, और क्रान्ति के लिए सही क्रान्तिकारी विचारधारा के आधार पर एक ताकतवर सही कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। इसी मकसद को लेकर कॉमरेड शिवदास घोष के हाथों बनी क्रान्तिकारी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) जनता की मांगों को पूरा करवाने के लिए एक उन्नत नीति-नैतिकता के आधार पर उस क्रान्तिकारी आन्दोलन के परिपूरक एक पर एक जनआन्दोलन गठित कर रही है। देश-प्रदेश में पार्टी का संगठन फैलता जा रहा है।

इन हालात में आगामी 24 अप्रैल, पार्टी का 69वां स्थापना दिवस देश भर में मनाया जा रहा है।

मारुति-सुजुकी के विक्टेमाइज किये गये मजदूरों के समर्थन में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने किया देशव्यापी एकजुटता का आह्वान

एआईयूटीयूसी द्वारा 19 मार्च, 2017 को जारी बयान

जो लोग आर्थिक और राजनैतिक रूप से ताकतवर मालिकों के अधीन उद्योगों में या कृषि में या अन्य कहीं भी उत्पादन में लगे हुए शोषित-वंचितों के लिए न्याय में विश्वास रखते हैं, वे सभी लोग 18-07-2012 को मारुति-सुजुकी प्लांट में लगी आग से दम घुटने और जलने की वजह से एक अधिकारी की कथित हत्या के केस में एडिशनल सेशन जज, गुड़गाँव के ट्रायल कोर्ट द्वारा 18 मार्च, 2017 को मानेसर, गुड़गाँव (हरियाणा) स्थित मारुति-सुजुकी प्लांट के 13 नेतृत्वकारी मजदूरों को आजीवन कारावास और अन्य 4 मजदूरों को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाये जाने से अत्यंत आहत महसूस करते हैं। इस दुखद दुर्घटना के लिए 10-03-2017 को 31 मजदूरों को दोषी ठहराया गया था। इनमें से 14 जनों को रिहा कर दिया गया क्योंकि वे अपनी सजा पहले ही काट चुके थे, जबकि 117 मजदूरों को 4 साल जेल की हिरासत भुगतने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। अन्य 60 मजदूर पहले ही भगोड़े घोषित कर दिये गए थे जिन्हें नये ट्रायल का सामना करने के लिए किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। यह घटना घटने के फौरन बाद तब हमने हाई कोर्ट के पीठासीन जज से निष्पक्ष न्यायिक जाँच कराने की माँग की थी जो अनसुनी कर दी गई।

यह याद दिला दें कि मारुति मजदूर वर्ष 2000 से प्रबंधन के हमलों से रूबरू हैं जब उनसे अच्छे आचरण का वचन देते हुए बाण्ड भर कर देने को कहा गया था जिसके उल्लंघन पर किसी भी समय उनकी नौकरी छीनी जा सकती थी। इसका विरोध करने वाले मजदूरों को बहुत बड़ी संख्या में नौकरी से निकाल दिया गया था। तब 2001 में 1250 और 2003 में 1250, कुल मिलाकर 2500 स्थायी मजदूरों की छंटनी की गई थी। इसके बाद कई और हमले हुए थे। रोजाना के कार्य सिड्यूल में मजदूरों के साथ दमनात्मक रवैया बरतने के साथ ही काम का बोझ बढ़ाये जाने के अलावा वेतन घटाया गया गया और मजदूरों के अधिकारों में कटौती थोपी गई थी। वर्तमान में केवल 15 प्रतिशत मजदूर ही स्थायी या पक्के हैं, बाकी 85 प्रतिशत मजदूर या तो कैज्यूअल मजदूर हैं या फिर ठेकेदार के तहत काम करने वाले मजदूर या अप्रेन्टिस, ट्रेनिंग लेने वाले मजदूर व प्रशिक्षण लेने वाले छात्र हैं। अब जापानी कम्पनी सुजुकी ने अधिकांश शेयर होने की वजह से इसका मालिकाना हथिया लिया है। सरकार का इसमें कोई शेयर नहीं है। इसने मुनाफे के अम्बार लगा लिये हैं। गुड़गाँव में अब इसका सिर्फ एक ही प्लांट नहीं है, बल्कि और भी 4 बड़े-बड़े प्लांट हैं, 3 मानेसर में हैं और एक गुजरात में निर्माणाधीन है। वर्तमान में दिल्ली बॉर्डर से लेकर रेवाड़ी जिले तक 100 किलोमीटर से अधिक में फैले गुड़गाँव औद्योगिक क्षेत्र में इसकी 250 सहायक कम्पनियां हैं जिनकी 800 से अधिक इकाइयां हैं। कम्पनी में क्षमता से अधिक उत्पादन देने के बावजूद मजदूरों को वेतन और सामाजिक सुरक्षा के रूप में उनके न्यायोचित हिस्से से वंचित किया गया है। वे बेहतर काम व बेहतर वेतन की माँग करते हैं –यही उनका कसूर है। उन्हें अपनी पसन्द की यूनियन बनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। जब भी उन्होंने यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया, आवेदन करने वाले मजदूरों को उनकी नौकरियों से जबरन हटा दिया गया। होण्डा मजदूरों के साथ किस तरह जानवरों से भी बदतर ढंग से बर्ताव किया गया था, 25-07-2004 को उपायुक्त, गुड़गाँव के कार्यालय के सामने कितने वहशियाना ढंग से उनकी पिटाई और उत्पीड़न किया गया था, यह पूरे देश ने टीवी चैनलों पर साफ देखा था। जब तब धारा 144 लगाा दी जाती है। फैक्टरी पुलिस छावनी बना दी गई थी।

इसी तरह 18-07-2012 के मनहूस दिन एक सुपवाइजर ने एक मजदूर से दुर्व्यवहार किया था। कम्पनी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं दी, बल्कि उल्टे उस मजदूर को ही निलंबित कर दिया। जब नवनिर्वाचित यूनियन नेताओं (उन्हीं में से 12 जनों को अब आजीवन कारावास की सजा दी गई है) को बहुत बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में किराये के बाउन्सरों द्वारा बुरी तरह पीटा गया था। पुलिस महज मूक दर्शक बनी रही थी। इसी बीच कैम्पस में आग लग गई जिसके लिए इन मजदूरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जिन पुलिस अधिकारियों ने प्रबंधन के किराये के गुण्डों को शह दी थी, उन्हीं को इस केस में जाँच अधिकारी बनाया गया। भूपेन्द्र हुड्डा-नीत कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपये खर्च कर सुप्रीम कोर्ट के वकील के.टी.एस. तुलसी को रखकर गरीब व बेकसूर मजदूरों के खिलाफ कम्पनी को उच्च स्तरीय कानूनी सहायता प्रदान की थी। बीजेपी और इसकी मजदूर शाखा बीएमएस ने भी पूर्ववर्ती हरियाणा सरकार के इस कदम का विरोध किया था। लेकिन केन्द्र व राज्य में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार भी खुलेआम अपनी पूर्ववर्ती सरकार के ही नक्शे कदम पर चली और मौजूदा नतीजे में योगदान दिया। यह मजदूरों के पक्ष में न्याय के हित में केस वापस ले सकती थी और एक निष्पक्ष न्यायिक जाँच बिठा सकती थी। लेकिन इसने मजदूरों को सबक सिखाने और ट्रेड यूनियन आन्दोलन को कुचलने के लिए ऐसा कदम न उठाने को ही ज्यादा तरजीह दी। किसी भी विचारवान नागरिक की इस बात पर दो राय नहीं हो सकती कि धन और इससे सम्बद्ध आर्थिक एजेण्डे पर वर्चस्व रखने वाला वर्ग न केवल राजनीति पर बल्कि न्याय व्यवस्था और शक्तिशाली मीडिया सहित सब कुछ पर नियंत्रण रखता है। एक स्थानीय टीवी चैनल द्वारा 10-03-2017 को प्रसारित की गई खबर मीडिया के द्वारा तोड़ मरोड़ कर और मनगड़ंत झूठी खबरें देने की बात को साबित करता है। जबकि अदालत ने सजा सुनाने के लिए 17-03-2017 तक केस स्थगित किया था, लेकिन शासक पूँजीपति वर्ग के हावी होने से उक्त टीवी चैनल ने 10-03-2017 को ही ऐलान कर दिया था कि 13 मजदूरों को फाँसी दी जाएगी। यह मजदूरों का मनोबल तोड़ने की पूर्वनियोजित साजिश को साफ दर्शाता है।

एटक, सीटू, एआईयूटीयूसी, एचएमएस, इन्टक व अन्यों को लेकर बनी ट्रेड यूनियन काउन्सिल, गुड़गाँव के तहत मजदूरों ने दिल्ली बॉर्डर से लेकर बावल, रेवाड़ी तक समूचे औद्योगिक क्षेत्र में 16-03-2017 को सजा के पूर्वानुमानित आदेश के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और लंच (फैक्टरी मालिकों द्वारा दिये जाने वाले दोपहर के खाने) का बहिष्कार किया। 18-03-2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के दिन, मारुति-सुजुकी के चारों प्लांटों के तमाम मजदूरों ने सायं 9 बजे से सायं 10 बजे तक एक घण्टे के लिए काम बन्द रखा। आजादी आन्दोलन में मजदूरों के हितों के लिए लड़ने वाले महान योद्धा शहीद-ए-आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर 23-03-2017 को पूरे औद्योगिक क्षेत्र से आये तमाम मजदूर मानेसर से मार्च करेंगे और मजदूरों के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ प्रतिवाद स्वरूप एक विशाल जनसभा करने के लिए वे देवीलाल पार्क में एकत्र होंगे। ट्रेड यूनियन काउन्सिल, गुड़गाँव की घटक होने के नाते एआईयूटीयूसी मजदूरों की अभूतपूर्व एकता की सराहना करती है और प्रतिवाद की बुलंद होती उनकी आवाज के लिए उन्हें बधाई देती है।

एआईयूटीयूसी, हरियाणा राज्य कमेटी के अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान ने 19 मार्च को जारी एक बयान में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर स्टे देने और हाई कोर्ट के पीठासीन जज द्वारा निष्पक्ष न्यायिक जाँच कराने की माँग की। उन्होंने 117 बरी किये गये मजदूरों को 4 साल जेल में रखकर उनकी आजादी छीनी जाने का पर्याप्त मुआवजा देने और उन्हें जल्द से जल्द बहाल करने की भी माँग की। उन्होंने मानेसर प्लांट के उन 525 मजदूरों को भी बहाल करने की माँग की जिनको किसी तरह की कोई इन्क्वारी किये बिना और सुनवाई का मौका दिये बिना ही जुलाई, 2012 में नौकरी से बरखास्त कर दिया गया था। उन्होंने गुड़गाँव औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कानूनों और मजदूरों के कानूनी व जनतांत्रिक अधिकारों का पालन किये जाने और उत्पीड़न बंद करने की भी माँग की।

जब तक जायज माँगें पूरी नहीं हो जाती तब तक एकता को सुदृढ़ करने और संयुक्त संघर्ष की राह पर चलते रहने की मजदूरों से पुरजोर अपील करते हैं।

समाज के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थी सोवियत महिलाएं

सौ साल से भी ज्यादा समय से नारी मुक्ति का लक्ष्य लेकर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जा रहा है। लेकिन आज भी पूँजीवादी देशों में नारी समाज शोषण और भेदभाव का शिकार है। महान नवम्बर समाजवादी क्रान्ति ने पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर सोवियत यूनियन में नारी को असल मर्यादा के आसन पर बैठाया था। कैसा था वहाँ नारी जीवन? 1939 में प्रकाशित यू.एस.एस.आर. की सुप्रीम सोवियत की सदस्य एम. पिचुगिनार के लेख 'वुमेन इन द यू.एस.एस.आर.' में उसका एक चित्र उभर कर आया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस लेख का अनुवाद प्रकाशित किया गया है। इस बार यह दूसरी और अंतिम कड़ी प्रकाशित की जा रही है।

सोवियत यूनियन में कोई भी बच्चा नहीं कहलाता था 'नाजायज'

शादी और परिवार से सम्बन्धित कानून माँ और बच्चे के स्वार्थ की रक्षा करते हैं। सोवियत यूनियन में शादी का मतलब है दो स्वतंत्र और समानाधिकार प्राप्त मनुष्यों का स्वेच्छापूर्वक मिलन। एक तरफ राष्ट्र और समाज के सामग्रिक स्वार्थ में तथा दूसरी ओर पत्नी तथा औलाद के व्यक्तिगत और सम्पत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए यू.एस.एस.आर. में विवाह को पंजीकृत करवाने को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि सोवियत कानून की नजर में पंजीकृत नहीं हुई शादी भी पंजीकृत कराई गई शादी की तरह ही जायज है। सोवियत यूनियन में कोई बच्चा 'नाजायज' नहीं है। सभी बच्चों का ही समान अधिकार होता है।

पति-पत्नी दोनों की सहमति के आधार पर अथवा इनमें से जिस किसी एक की मर्जी के अनुसार शादी को तोड़ा जा सकता है। तलाक को पंजीकृत करने के समय राज्य सिर्फ इतना तय कर देता है कि बच्चों की परवरिश के लिए माता और पिता प्रत्येक को क्या जिम्मेदारी निभानी होगी और बच्चा किसके पास रहेगा।

सोवियत यूनियन के सभी नागरिकों के स्वार्थ और भावनाओं को मर्यादा देते हुए एक डिक्री का मसौदा तैयार करने के लिए 1936 में पूरे देश की जनता से उनकी राय मांगी गई थी। इस डिक्री का उद्देश्य था माँ और बच्चे के लिए और भी ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम करना, बार-बार गर्भपात के हानिकारक प्रभाव से महिलाओं की रक्षा करना, पितृत्व और मातृत्व की जिम्मेदारियों के प्रति किसी भी प्रकार के उदासीनतापूर्ण आचरण को हतोत्साहित करना और मुख्यत: परिवार को मजबूती प्रदान करना।

गर्भवती माँ के जीवन और स्वास्थ्य के खतरे में पड़ जाने अथवा माता-पिता से सम्बंधित गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार की वंशानुगत विकृति की आशंका को छोड़कर गर्भपात को वर्जित करने का प्रस्ताव इस डिक्री में लाया गया है। साथ ही साथ विवाह विच्छेद और भरण-पोषण सम्बंधित कानून को और भी कठोर बनाने का प्रस्ताव आया है। डिक्री के मसौदे को लेकर देश भर में हुई विस्तारित चर्चाओं के बाद जन साधारण की भावनाओं को पूरी मर्यादा देते हुए सरकार ने इसे ग्रहण किया। जिस व्यवस्था में शोषण का कोई भी वजूद नहीं हो, जहाँ सभी मेहनतकश लोगों की भौतिक तरक्की के स्तर को लगातार और भी उन्नत करते जाना ही समाज प्रगति का नियम हो, इस समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर दूसरी किसी भी व्यवस्था में परिवारों को शक्तिशाली करने के लिए इस तरह का समर्पित संघर्ष चला पाना क्या बिलकुल भी संभव है?

बेरोजगारी की समस्या का सम्पूर्ण समाधान, नारियों की आर्थिक स्वाधीनता, पूरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति का लगातार विकास और सुनिश्चित भविष्य की उम्मीद लेकर जिन्दा रहना सीखते हुए सुरक्षित बच्चे-यू.एस.एस.आर. की ऐसी एक परिस्थिति की वजह से ही इस डिक्री को पूरी तरह क्रियान्वित करना संभव हो सका था।

इस कानून के बनने से बड़े परिवारों की माताओं के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक अनुदान का आवंटन सोवियत सरकार ने किया था। सातवाँ बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की उम्र पाँच वर्ष होने तक माँ को प्रति वर्ष दो हजार रूबल अनुदान स्वरूप दिए जाते हैं। बाद में यदि और भी बच्चे पैदा होते हैं, तो माँ को इतनी ही मात्रा में अनुदान मिलता है। दस संतानों की माँ यदि बाद में और भी संतान को जन्म देती है तो उसे पाँच हजार रूबल दिए जाते हैं। बच्चे की उम्र पाँच वर्ष होने तक प्रति वर्ष उनको तीन हजार रूबल के हिसाब से दिया जाता है।

जिस दिन से गर्भपात पर रोक लगाने का कानून लागू हुआ (27 जून 1936) उसी दिन से अब तक सरकार ने बड़े परिवारों की माँओं के लिए अनुदान की खातिर 200 करोड़ रूबल खर्च किए हैं।

जिस उद्देश्य के लिए यह कानून लाया गया-परिवारों को मजबूत बनाने के लिए-वह पूरा हुआ। विवाह विच्छेदों की संख्या जबरदस्त रूप से घटी है। जैसे कि मास्को शहर में 1936 में 16 हजार 182 विवाह विच्छेद सूचीबद्ध किए गए थे। 1937 में यह संख्या घटकर 8 हजार 961 रह गई। 1936 में मास्को में 71 हजार 73 बच्चों का जन्म हुआ था, 1937 में वहाँ 1 लाख 35 हजार 848 बच्चों का जन्म हुआ।

लड़कियों के पढ़ने-लिखने के लिए सोवियत सरकार ने प्रदान की सब तरह की सहायता

ज्ञानार्जन की सोवियत नारियों के अन्दर जबरदस्त चाह रही है। वे सीखना चाहती हैं। सोवियत सरकार ने भी उनके पढ़ने-लिखने के लिए सब तरह की सहायता उपलब्ध कराने के लिए हाथ बढ़ा दिया है। सोवियत शासन कायम होने के बाद इसी बीच 4 करोड़ वयस्क लोग लिखना-पढ़ना सीख गए हैं। इनमें महिलाओं की अच्छी-खासी संख्या

1937 मास्को में मार्च पास्ट करते हुए सोवियत महिला खिलाड़ी

है। बहुत सी सिर्फ लिखना-पढ़ना सीख कर ही संतुष्ट नहीं हुई, वयस्कों के लिए बनाए गए स्कूलों में वे आगे पढ़ना-लिखना जारी रखे हुए हैं।

आज यू.एस.एस.आर. के असंख्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लड़कियाँ पढ़ाई-लिखाई कर रही हैं। सोवियत यूनियन के कॉलेजों-यूनिवर्सिटियों में 6 लाख 1 हजार छात्रों में से 43% महिलाएं हैं। शिक्षण विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के छात्रों में महिलाओं की संख्या और भी ज्यादा है।

खेलकूद में भी सोवियत की महिलाओं का आग्रह प्रबल है। 5 लाख से भी ज्यादा युवतियों ने शारीरिक क्षमता की परीक्षा में पास होकर 'जीटीओ बैज' हासिल किया है। रूसी भाषा के ''श्रम तथा प्रतिरक्षा के लिए तैयार'' शब्दों के पहले अक्षरों को लेकर बना 'जीटीओ' शब्द। पिस्टल निशानेबाजी की परीक्षा में सफल एक लाख महिलाओं ने गर्व के साथ 'वरोशिलोव बैज' धारण किया। सोवियत महिलाओं ने खेल-कूद में, विशेषकर पैराशूट जम्पिंग और फ्लाईंग में बहुत सारे विश्व रिकार्ड बनाए हैं।

सोवियत यूनियन ने वैश्यावृत्ति का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया है

जार के रूस में वेश्यावृत्ति को सरकार ने कानूनी बना दिया था। वेश्याओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। सोवियत यूनियन में वेश्यावृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंका गया है। सिर्फ पुलिस तैनात कर या कानून बना कर नहीं, बल्कि सोवियत नारियों को आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करके एवं उनको पूर्ण स्वाधीनता देने के जरिये ही यह संभव हो सका है।

देश के ढांचागत क्रियाकलापों में हिस्सा लेकर सोवियत नारियों ने न सिर्फ आर्थिक स्वाधीनता हासिल की है बल्कि और भी बहुत कुछ पाया है। देश संचालन के क्षेत्र में इसी बीच महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकार हासिल कर लिए हैं। यू.एस.एस.आर. की सुप्रीम सोवियत में फिलहाल 189 महिला सदस्य हैं। संयुक्त रिपब्लिकों की सुप्रीम सोवियतों में 848 और स्वशासित रिपब्लिकों की सुप्रीम सोवियतों में 578 महिला सदस्य हैं। ग्राम और शहर सोवियतों में 15 लाख महिलाएं सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।

कल-कारखानों में काम की नई तथा उन्नत पद्धति चालू करके लाखों लाख सोवियत नारियों ने 'स्ताखानोवाई' के रूप में ख्याति अर्जित की है। इस सम्बंध में कपड़े के कारखाने की दो महिला कामगारों एवदोकिया और मारिया विनोग्रादोवा के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। कारखाने में उत्पादकता की बढ़ोतरी के संघर्ष में ये दो संग्रामी सैनिक अत्यन्त जनप्रिय व देश के लोगों के लिए अत्यंत सम्माननीय हैं।

सामूहिक फार्मों की किसान महिलाओं ने सबसे ज्यादा चुकुन्दर उगाने में ख्याति अर्जित की है। चुकुन्दर उगाने की वृद्धि को लेकर एक समाजवादी प्रतियोगिता सामूहिक फार्म की महिला कृषक मारिया देमचेंको ने शुरू की थी। प्रति हैक्टेयर (2.47 एकड़) जमीन में 50 टन तक चुकुन्दर पैदा करके उन्होंने दिखा दिया था। आज सोवियत यूनियन के सामूहिक फार्मों में ऐसी भी कृषक महिलाएं हैं जो यहाँ तक कि प्रति हैक्टेयर 100 टन भी चुकुन्दर पैदा कर देती है।

सामूहिक फार्म की एक महिला ट्रेक्टर चालक पाशा अंजलिना ने 1936 में श्रेष्ठ महिला ट्रेक्टर चालक होने के आन्दोलन की शुरूआत की थी। आज हजारों हजार महिला ट्रेक्टर और कम्बाइन चालक इस सम्मान को अर्जित करने के लिए संघर्षरत हैं। 1937 में सोवियत यूनियन में 15 हॉर्सपॉवर ट्रेक्टर से खेती की जाने वाली जमीन का कुल परिमाण 1 हजार 15 एकड़ था। उसी समय ही श्रेष्ठ महिला ट्रेक्टर चालक वाहिनी की 250 कामगारों ने 15 हॉर्सपॉवर के ट्रेक्टर लेकर कुल 1 हजार 838 एकड़ जमीन में खेती की थी।

मॉस्को से सुदूर पूर्व तक लम्बी व लगातार उड़ानों में वैलेंटीना ग्रिजोदूबोबा, प्रयात पलिना यूमिपेंका व मारिना रासकोवा जैसी महिला विमान चालकों ने जिस साहस व दक्षता का परिचय दिया है इसके लिए सोवियत जनता का गौरवान्वित होना पूरी तरह जायज है। इन्होंने लगातार लम्बी उड़ान भरने के मामले में विश्व रिकार्ड कायम किया है।

सोवियत यूनियन जनसाधारण के कमिसारों में से फिलहाल 12 महिलाएं हैं। इनके बीच में हैं यू.एस.एस.आर. के मत्स्य उद्योग विभाग में जनसाधारण की कमिसार पलिना जम्चुजिना, अजरबैजान की जनस्वास्थ्य विभाग में जनसाधारण की कमिसार कुब्रा फारादजेवा, तुर्कमेनिस्तान के लघु उद्योग विभाग की जनसाधारण की कमिसार वारवति आलजिवायेवा इत्यादि। यू.एस.एस.आर. की जनता के कमिसारों की काऊंसिल के वाइस-चेयरमेनों के बीच भी एक महिला-रोजालिया जे मलियाचका शामिल हैं।

सोवियत नारियाँ पीछे हैं ऐसा नहीं है कोई भी क्षेत्र

यू.एस.एस.आर. में अब 12 हजार 500 महिला विज्ञानकर्मी हैं। मौजूदा यू.एस.एस.आर. में विज्ञान अकादमी की सदस्य निर्वाचित हुई हैं डॉ. लेना स्टार्न। डॉ. स्टार्न शरीर विज्ञान और बायोकेमिस्ट्री की एक विशेषज्ञ हैं। इस सम्बंध में उनके लिखे 300 शोधनिबंध प्रकाशित हुए हैं।

इस निबंध लेखिका ने खुद भी एक अकुशल मजदूर के रूप में जीवन शुरू कर यू.एस.एस.आर. की सुप्रीम सोवियत की सदस्य होने का लम्बा रास्ता पार किया है।

1929 में मैंने एक 'कोलखोज' (सामूहिक फार्म) में काम शुरू किया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही 1930 में पति के साथ सहयोग करने के लिए मुझे मास्को के लिए रवाना होना पड़ा। एक वर्ष के अन्दर ही मैंने मास्को के एक नए बॉल बियरिंग कारखाने को तैयार करने के काम में एक साधारण मजदूर की हैसियत से काम शुरू किया। कठोर परिश्रम करने के चलते जल्दी ही मैं एक कुशल श्रमिक में परिणत हो गई। 1932 में कारखाना लगाने का काम पूरा हुआ तो बालॅ-बियरिंग असैम्बली शॉप में मुझे फोरमेन का काम दिया गया। दो वर्ष के अन्दर ही हमारे कारखाने के मजदूरों ने मास्को सोवियत में उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना। मैं तब भी इसी कारखाने में काम करती थी। कर्मक्षेत्र में मेरी भूमिका को मान-सम्मान देते हुए सोवियत सरकार ने मुझे 'आर्डर ऑफ द रेड बैनर ऑफ लेबर' से सम्मानित किया।

1937 के शुरू में हमारा कारखाना जहाँ है उस जिले के निर्वाचकों ने जिला सोवियत के चेयरमेन के पद पर मुझे निर्वाचित किया। थोड़े दिनों के बाद ही जनता ने मेरे प्रति और भी ज्यादा भरोसा जताते हुए मुझे यू.एस.एस.आर. की सुप्रीम सोवियत के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। उसी समय एक साथ चार कारखानों से भी मुझे निर्वाचित किया गया। इस तरह एक अकुशल महिला मजदूर के रूप में कर्मजीवन शुरू करके आज मैं देश संचालन के काम में

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सोवियत संघ के संविधन प्रारूप के प्रसंग में महान स्टालिन

(सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) ने महान नवम्बर क्रांति की शत वार्षिकी मनाने का ऐतिहासिक कार्यक्रम लिया है। वर्ष भर इसे निष्ठापूर्वक मनाने का जो गंभीर फैसला हुआ था उसके उद्घाटन कार्यक्रम की शुरूआत 7 नवम्बर 2016 को दिल्ली में हुई। इसे मनाने के हिस्से के तौर पर ही सर्वहारा दृष्टिकोण ने महान नवम्बर क्रांति से संबंधित कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और उस दौर के घटनाक्रमों का संक्षिप्त इतिहास जिसने क्रांति की बुनियाद रखी, को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है।

5 दिसम्बर 1936 विश्व में समाजवाद के सूत्रपात और उसे स्थापित करने में एक विशेष ऐतिहासिक महत्व का दिन था। इसी दिन महान स्टालिन के नेतृत्व में विगत यू.एस.एस.आर. (सोवियत संघ) ने अपने नए संविधान को अपनाया। उसके बाद ये मात्र किसी एक देश का संविधान नहीं रहा बल्कि बहुत जल्द पूरी दुनिया में 'स्टालिन संविधान' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बहुत ही जल्दी यह लोगों के सपनों, आकांक्षाओं, अधिकार, कर्तव्य को पोषित करने का जीवंत रूप बन गया। उन लोगों के लिए जो मानव इतिहास के नए युग में प्रवेश कर रहे थे। 25 नवम्बर 1936 को महान स्टालिन द्वारा यूएसएसआर की सोवियतों की असाधारण आठवीं कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट यूएसएसआर के संविधान प्रारूप पर की गई विस्तृत चर्चा है। स्टालिन ने अपनी रिपोर्ट में जो पेश किया था उसके चुनिंदा अंश हम संक्षेप में यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।)

''कामरेडस्, यूएसएसआर की सोवियतों की सातवीं कांग्रेस के द्वारा लिए गए विशेष निर्णय के बाद संविधान कमीशन बना था...6 जनवरी 1935 को जो निर्णय लिया और अपनाया गया वह इस प्रकार है :

1. सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ(यूएसएसआर) के संविधान में संशोधन, जो इस ओर लक्षित हैं–

(क) चुनावी व्यवस्था का और अधिक जनवादीकरण करना, अधूरे समान मताधिकार के स्थान पर पूर्ण रूप से समान मताधिकार को, परोक्ष चुनाव की जगह सीधे चुनाव को, खुले मतदान की जगह गुप्त मतदान की व्यवस्था लागू करना।

(ख) संविधान को सामाजिक और आर्थिक आधार पर संक्षिप्त रूप में परिभाषित करना, जिसके जरिए संविधान को सोवियत संघ के वर्तमान वर्ग शक्तियों के संबधों के अनुरूप लाया जा सके। एक नए समाजवादी उद्योग का बनना, कुलक वर्ग का ध्वस्त होना, सामूहिक फार्म व्यवस्था की जीत, सोवियत समाज के आधार पर समाजवादी सम्पत्ति का सुदृढ़ीकरण इत्यादि, इत्यादि।

2. एक संविधान कमीशन का चुनाव करने की आज्ञा, यूएसएसआर की केन्द्रीय कार्यकारी कमेटी को दी जाए। इस संविधान कमीशन को निर्देश दिया जाए कि वह संविधान का एक संशोधित रूप निकाले जो खंड (1) में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप हो और यूएसएसआर की केन्द्रीय कार्यकारी कमेटी के सत्र में अनुमोदन के लिए पेश करे।

3. निर्वाचन व्यवस्था के आधार पर यूएसएसआर में सोवियत सत्ता के विभिन्न अंगों के आम चुनाव आयोजित करना।''

अत: संविधान कमीशन का काम था– 1924 में अपनाए और स्वीकृत किए गए संविधान संशोधनों को वर्तमान में लागू संविधान में बदलाव करके लागू करना। ये बदलाव 1924 से अब तक सोवियत संघ के जीवन परिवेश में आए बदलावों के अनुरूप और समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने की ओर जाने को ध्यान में रखकर लाए गए थे।

शोषक वर्ग जो राष्ट्रों के बीच संघर्षों के मुख्य संगठनकर्ता होते हैं उनके न रहने; शोषण जो आपसी अविश्वास को पनपाता है और राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काता है, उसके न रहने; इस सच्चाई की वजह से कि सत्ता मजदूर वर्ग के हाथों में है जो हर तरह की गुलामी का दुश्मन है और अंतरराष्ट्रीयतावाद के विचार का सच्चा वाहक है; आर्थिक और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों के बीच आपसी सहयोग का वास्तविक अभ्यास; और अंतत: यूएसएसआर की जनता की राष्ट्रीय संस्कृति का फलना–फूलना, जो संस्कृति स्वरूप में तो राष्ट्रीय है, पर सारतत्व में समाजवादी है। इन्हीं सब, और अन्य मिलते–जुलते कारकों ने सोवियत संघ के लोगों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। आपसी अविश्वास की भावना गायब होकर उसके स्थान पर आपसी मैत्री की भावना लोगों के बीच में विकसित होती चली गई जिसके परिणामस्वरूप एकल संघीय राज्य व्यवस्था में ही लोगों के बीच वास्तविक भाईचारा, सहयोग स्थापित हो गया।

इसी का नतीजा यह हुआ कि अब हम पूर्ण रूप से विकसित बहु–राष्ट्रीय समाजवादी संघ राज्य हैं। वह राज्य, जिसने सारी परीक्षाएं पास कीं, जिसकी स्थिरता विश्व के किसी भी हिस्से के राष्ट्रीय राज्य के लिए ईर्ष्या का कारण हो सकती है।

संविधान कमीशन को 1924 के संविधान के मूलपाठ को संशोधित करने का आदेश दिया गया था। ...

संविधान कमीशन नए संविधान की रूपरेखा बनाते हुए इस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ा कि एक संविधान को एक प्रोग्राम के साथ आपस में गड्ड–मड्ड नहीं कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि एक संविधान और प्रोग्राम में एक मौलिक अंतर है। एक तरफ प्रोग्राम उन पक्षों, विषयों के बारे में बात करता है जो अभी हासिल नहीं हुए हैं, वर्तमान में मौजूद हैं, जिन्हें हासिल करना और आगामी भविष्य में जीतना अभी बाकी है। इसके विपरित एक संविधान को उन विषयों पर बात करनी होती है जो पहले से ही अस्तित्व में हैं। जो अब वर्तमान बन चुके हैं और पहले से ही हासिल किए जा चुके हैं, जीते जा चुके हैं। एक प्रोग्राम का सरोकार मुख्य रूप से आगामी भविष्य से होता है जबकि एक संविधान का सरोकार वर्तमान से होता है।

इसे इन दो उदाहरणों से समझा जा सकता है। हमारा सोवियत समाज पहले से ही मुख्य रूप में समाजवाद हासिल करने में कामयाब हुआ है, इसने एक समाजवादी व्यवस्था को जन्म दिया है, यह एक ऐसी समाज व्यवस्था ले आया है जिसे मार्क्सवादी दूसरे शब्दों में, प्रथम या निचले स्तर का साम्यवाद कहते हैं। इस प्रकार हमने मूल रूप में साम्यवाद के प्रथम स्तर समाजवाद को पहले ही हासिल कर लिया है। साम्यवाद के इस दौर का मूल सिद्धांत है–जैसाकि आप जानते हैं यह फार्मूला ''हरेक को उसकी योग्यता के अनुसार से हरेक को उसके काम के अनुसार।''

समाजवाद हासिल हो गया यह एक तथ्य है। क्या हमारे संविधान को इस तथ्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए? क्या संविधान को समाजवाद पर आधारित होना चाहिए? निर्विवाद रूप से, हां होना चाहिए। क्योंकि सोवियत संघ के लिए समाजवाद एक हकीकत है जिसे पहले ही हासिल कर चुके हैं और जीत चुके हैं।

लेकिन सोवियत समाज अभी तक साम्यवाद के अगले उन्नत दर्जे तक नहीं पहुंचा है जिसमें मूल सिद्धांत लागू करने का फार्मूला होगा–''प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार से प्रत्येक को उसकी जरूरत के अनुसार।'' हालांकि सोवियत समाज ने भविष्य में साम्यवाद के अगले उन्नत चरण में पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। लेकिन क्या हमारा आज का संविधान भविष्य में हासिल होने वाले साम्यवाद के उन्नत दौर को आधार करके आज हो सकता है? वह स्तर जो अभी सोवियत में अस्तित्व में ही नहीं है और जिसे अभी हासिल करना बाकी है? नहीं, ऐसा अभी नहीं हो सकता, क्योंकि साम्यवाद के अगले स्तर पर पहुंचना अभी सोवियत संघ के लिए वास्तविकता नहीं बन पाई है। यह स्तर अभी वर्तमान में वास्तविक रूप ग्रहण नहीं कर पाया है। इसे हासिल करना अगले आने वाले भविष्य में बाकी है। इसे हासिल नहीं किया जा सकेगा यदि इसे भविष्य की उपलब्धियों के लिए प्रोग्राम या घोषणा के रूप में न बदल डालें। (पेज 806–807)

बुर्जुआ संविधान हमेशा अपने आप को बस नागरिकों के औपचारिक अधिकारों को बताने तक सीमित रखता है। बिना इस बात की परवाह किए कि किन परिस्थितियों में ये अधिकार व्यवहारिक रूप से अमली जामा पहनेंगे। किस प्रकार अवसर मिलेंगे कि इन अधिकारों का प्रयोग होगा।... नए संविधान का प्रारूप किस प्रकार यह फर्क पैदा करता है यह इसी बात से दृष्टिगोचर होता है कि यह मात्र नागरिकों के अधिकारों की औपचारिक व्यवस्था नहीं करता बल्कि इस बात पर जोर देता है कि किस प्रकार ये अधिकार वास्तविक धरातल पर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। तौर–तरीके जिनके आधार पर इन अधिकारों को अमली

जामा पहनाया जा सके। इसलिए यह 'साबित' है कि नए संविधान के प्रारूप की लोकतांत्रिकता 'साधारण' नहीं है और सार्वभौमिक रूप से प्रचलित, प्रसारित, अमूर्त लोकतांत्रिकता नहीं है बल्कि समाजवादी लोकतांत्रिकता है।...

...आलोचकों का समूह... मानता है कि प्रारूप ज्यादा किसी काम का नहीं, क्योंकि यह असल में .....एक कागज का टुकड़ा मात्र है, खोखला है, मात्र वादा है जिसका मकसद है.. पैंतरेबाजी, लोगों को धोखा देने के लिए...

इस प्रकार के आलोचकों के ठेठ प्रतिनिधि हैं..जर्मन अर्ध सरकारी अंग, ड्यूश राजनयिक राजनीतिक कॉरस्पांडेज.

1917 में सोवियत संघ की जनता ने बुर्जुआ सत्ता को उखाड़ फेंका और सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित किया, सोवियत शक्ति को स्थापित किया। यह एक तथ्य है न कि कोई वादा। इसके आगे... सोवियत शक्ति ने जमींदार वर्ग का खात्मा करके लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि, जो पूर्ववर्ती जमीदारों और सरकार की थी और राजनीतिक भूमि को हस्तगत करके किसानों को दे दी। यह सब उस भूमि से अलग थी जो किसानों के अधिकार में पहले ही थी।

यह एक तथ्य था न कि कोई वादा।

इसके आगे–सोवियत शक्ति ने पूंजीपति वर्ग की सम्पत्ति को जब्त कर लिया...यह एक तथ्य है न कि वादा–

इसके आगे– उद्योग और कृषि को नई समाजवादी लाइन पर संगठित करते हुए और एक नए तकनीकी आधार के साथ, ..राष्ट्रीय आय में चौगुनी वृद्धि हुई युद्ध से पहले के समय से तुलना की जाए तो... ये सभी तथ्य हैं वादे नहीं।

इसके आगे... सोवियत शक्ति ने बेरोजगारी को समाप्त कर दिया, काम करने के अधिकार की शुरूआत की, आराम करने का अधिकार, खाली समय में मनोरंजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, जिसने बुद्धिजीवियों, श्रमिकों, किसानों के विकास के लिए बेहतर भौतिक और सांस्कृतिक परिवेश तैयार किया। गुप्त मतदान के जरिए सीधा समान सार्वभौमिक मताधिकार जो सभी नागरिकों को हासिल हो, लागू किया... यह सभी तथ्य हैं वादे नहीं।

अंतत: अब भी एक और प्रकार के आलोचकों का समूह है जिस आलोचक समूह का पहले जिक्र किया है, एक तरफ यह समूह संविधान के प्रारूप की निंदा करता है कि इसमें श्रमिक वर्ग के अधिनायकतत्व को छोड़ दिया गया, तो दूसरी तरफ ये धड़ा इसके विपरीत आरोप लगाता है कि संविधान की वर्तमान अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया और सोवियत संघ में श्रमिक वर्ग की तानाशाही को बरकरार रखा गया है। राजनैतिक पार्टियों को कोई आजादी नहीं दी गई है और सोवियत संघ की वर्तमान नेतृत्वकारी कम्युनिस्ट पार्टी की पोजीशन और नेतृत्वकारी भूमिका को बरकरार रखा गया है।

आलोचकों का यह धड़ा अपनी बयानबाजी जारी रखता है कि विभिन्न राजनैतिक पार्टियों का न होना सोवियत संघ में लोकतांत्रिकता के उल्लंघन को दर्शाता है और यह इसी बात का लक्षण है।

मैं यहां यह स्वीकार करना चाहता हूं कि नए संविधान का प्रारूप श्रमिक वर्ग के अधिनायकतत्व वाले शासन को सुरक्षित रखता है जिस प्रकार यह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी स्थिति की भी रक्षा करता है। अगर आदरणीय आलोचकगण इसे संविधान के प्रारूप में दोष के रूप में देखते हैं जिस पर अफसोस किया जाए तो हम बोल्शेविक इसे संविधान के प्रारूप की योग्यता के रूप में देखते हैं। जहां तक राजनैतिक पार्टियों को खुली छूट देने की बात है तो इस पर हम कुछ अलग नजरिया रखते हैं और उस पर कायम हैं। कोई भी पार्टी एक विशेष वर्ग का हिस्सा है और उसी का प्रतिनिधित्व करने वाला विकसित रूप है। विभिन्न पार्टियों को खुली छूट देने की बात एक

(शेष पृष्ठ 7 पर)

शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को दी गई श्रद्धांजली

23 मार्च को देश के आजादी आन्दोलन की गैर समझौतावादी धारा के महानायक शहीद-ए-आज़म भगतसिंह ,सुखदेव, राजगुरु के 86वें शहादत दिवस पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके शहीदों को श्रद्धांजली दी गई। सभी जगह शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरूआत हुई। क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किये गये।

झारखण्ड

घाटशिला : 23 मार्च को यहां ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा एक सभा आयोजित की गई। सभा के मुख्य वक्ता संगठन के सर्वभारतीय अध्यक्ष कॉमरेड कमल साई थे। अन्य वक्ताओं में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट), झारखण्ड राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य कॉ. सुमित राय, ऑल इण्डिया डीएसओ के झारखण्ड राज्य सचिव कॉ. कन्हाई बारिक, सिंहभूम जिला सचिव कॉ. आशारानी पाल आदि शामिल थे। सभा के उपरांत एक मशाल जुलूस भी निकाला गया।

सराईकेला-खरसवां : इस जिले में एआईडीवाईओ जिला कमेटी द्वारा भगत सिंह के शहीदी दिवस पर गम्हरिया प्रखंड के आदित्यपुर की बंतानगर बस्ती में, आदित्यपुर कालोनी के दुर्गापूजा मैदान में और चांडिल प्रखंड के छोटा लाखा गांव में कार्यक्रम आयोजित किये गए। बंतानगर में संगठन के जिला उपाध्यक्ष कॉ. गौतम महतो, छोटा लाखा गांव में कॉ. धीरेन्द्र गौड़ और आदित्यपुर कालोनी में स्थानीय युवक अतुल प्रकाश ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने वर्तमान राजनीतिक-सामाजिक स्थिति में शहीद-ए-आजम भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता पर रोशनी डाली।

मध्य प्रदेश

भोपाल : 23 मार्च को शहीद-ए-आज़म भगतसिंह ,सुखदेव, राजगुरु के 86वें शहादत दिवस पर हिन्दी भवन में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा ने कहा कि आज भगत सिंह के विचारों व आदर्शों को छात्र-नौजवानों के बीच ले जाने की सख्त रूरत है। भगत सिंह ने जो शोषणमुक्त समाज का सपना देखा था, वह आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। बल्कि अमीर और गरीब के बीच खाई और भी बढ़ती जा रही है। महिलाओं व बच्चियों पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म की घिनौनी घटनाएं सामने आई हैं। छात्र-नौजवानों के सामने आज सही आदर्श नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। आजाद भारत में सरकारी स्कूल बंद किये जा रहे हैं। फीस बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य सेवा का भी निजीकरण तेजी से हो रहा है। भगत सिंह ने कहा था कि धर्म को राजनीति व सामाजिक गतिविधियों से अलग-थलग करो। परन्तु आज धर्म के आधार पर ही लोग राजनीति कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों में शहीद भगत सिंह के विचारों को जन-जन तक ले जाने की जरूरत है और हमें भगत सिंह के जीन-संघर्ष व शिक्षाओं से सीख लेकर संघर्ष तेज करने की जरूरत है।

सभा को वरिष्ठ साहित्यकार ट्रेड यूनियन नेता श्री जी.एस. असीवाल के अलावा एआईडीएसओ के राज्य कार्यालय सचिव कॉ. विनोद लोगरिया ने भी संबोधित किया।

सभा की अध्यक्षता संगठन के राज्याध्यक्ष कॉ. मुदित ने की। सभा की शुरूआत में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए।

भोपाल : सभा को संबोधित करते हुए कॉ. अशोक मिश्रा

ग्वालियर : 25 मार्च को शहीद-ए-आज़म भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहादत दिवस पर ईदगाह कम्पू लोकल कमिटी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभा का आयोजन ईदगाह स्थित अश्फाक-बिस्मिल पार्क में किया गया। एक नाटक का मंचन भी किया गया। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) के जिला सचिव कॉ. सुनील गोपाल थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन कॉ. प्रकाश ने किया। सभा की अध्यक्षता कॉ. छाया पाठक ने की। सभा में कॉ. प्रतिज्ञा मांझी ने भी अपनी बात रखी। 23 मार्च को सुबह ऑल इण्डिया डी.एस.ओ द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया जो 7 नं. चौराहे पर जाकर सभा में तब्दील हो गई। पार्टी के जिला सचिव कॉ. सुनील गोपाल ने सभा को सम्बोधित किया। हजीरा में 22 मार्च को फिल्म 'द लेजेण्ड्स आफॅ भगतसिंह' दिखाई गई। गौसपुरा में सभा की गई व फिल्म शो किया गया। के.आर.जी. कॉलेजों में भी सभा की गई । किलागेट चौराहे पर नुक्कड़ सभा की गई। जीवाजी गंज और रानीपुरा में सभा की गई।

अशोकनगर : 23 मार्च को शहीद भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर एआईडीएसओ ने शहर के प्रमुख मार्गों से संध्या रैली निकाली जो स्थानीय तुलसी सरोवर पार्क पहुंच कर सभा में तब्दील हो गई। सभा में संगठन की राज्य समिति सदस्य बबीता समर, भगत सिंह यादगार मंच के सदस्य सुरेन्द्र रघुवंशी व संगठन के जिला सचिव देवेन्द्र बजारे ने बात रखी। संगठन ने मांग की कि काकोरी घटना के बाद अशोकनगर आये चन्द्रशेखर आजाद का स्मारक स्थापित किया जाए। सभा का संचालन अनुराग सागर ने किया। शहर के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में भी शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में छात्रों की सभा व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गए।

गुना: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉ. लोकेश शर्मा

गुना : शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस पर 1 अप्रैल को स्थानीय मानस भवन में 'एक शाम शहीदों के नाम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति गीतों से समा बांधा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजस्थान से कॉ. राजमल शर्मा रहे। साम्प्रदायिक दंगा-विरोधी विषय पर आधारित नाटक 'आदाब' का मंचन किया गया। मंच संचालन कॉ. लोकेश शर्मा ने किया। आभार भगत सिंह यादगार मंच के साथी राकेश मिश्रा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा भगत सिंह ने लेख इन्कलाब का विमोचन किया गया।

उत्तर प्रदेश

अमरोहा : 23 मार्च को शहीद भगतसिंह शहादत दिवस पर एसयूसीआई(सी) की जिला अमरोहा यूनिट द्वारा सभा ककी गई जिसकी की अध्यक्षता कॉ. यशपाल सिंह ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के जिला इंचार्ज कॉ. शील कुमार थे। सभा का संचालन कॉ. गंभीर सिंह ने किया। सभा कॉ. गजेन्द्र सिंह, दिग्राज सिंह व कॉ. गंभीर सिंह ने भी अपने विचार रखे।

मुरादाबाद : 23 मार्च को एआईडीवाईओ की मुरादाबाद जिला कमेटी के तत्वावधान में शहीद भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर आवास विकास बुद्धि विहार सेक्टर 1 के पार्क में सभा की गई और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता संगठन की स्थानीय कमेटी के अध्यक्ष प्रसिद्ध चित्रकार डा. नरेन्द्र सिंह ने की। सभा का संचालन लिपि सिंह ने किया। सभा में डा. चन्द्रभान यादव, हरकिशोर सिंह, फैजखान, अंशु सक्सैना, वीना यादव, औंकार सिंह, विजयपाल सिंह, शिशुकर मधुकर, कमलेश चाहल, भावना सिंह आदि ने भी अपने विचार रखे।

जौनपुर : 23 मार्च को शहीद भगतसिंह शहादत दिवस पर एआईडीएसओ, एआईडीवाईओ व कोम्सोमोल संगठनों की ओर से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये गए। आजाद कांवेंट स्कूल, पड़री में पुष्पांजली कार्यक्रम का संचालन राधेश्याम ने किया। उपस्थित छात्रों को इन्द्रकुमार शुक्ल व शिवप्रसाद विश्वकर्मा ने संबोधित किया। तुरकौली गांव में कॉ. तीर्थराज तिवारी की अध्यक्षता में हुई सभा का संचालन शिवप्रसाद ने किया और इन्द्रकुमार शुक्ल, मिथिलेश कुमार मौर्य तालुकदार, हरिराम व अनिल ने बात रखी। पड़री बाजार, महराजगंज में हुई जनसभा की अध्यक्षता कॉ. जयनारायण मौर्य ने की। संचालन कॉ. शिवप्रसाद ने किया। सभा को इन्द्रकुमार शुक्ल, दिलीप कुमार खरवार, राधेश्याम व अनिल ने संबोधित किया। कॉ. चन्द्रेश ने गीत गाया। भोगीपुर में हुई श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कॉ. देवनारायण मौर्य ने की। संचालन कॉ. शिवप्रसाद ने किया। सभा को इन्द्रकुमार शुक्ल, दिलीप कुमार खरवार, मिथिलेश कुमार मौर्य व चन्द्रकांता ने संबोधित किया। बरैया गांव में कॉ. हीरालाल मौर्य की अध्यक्षता में सभा हुई। संचालन कॉ. दिनेशकांत मौर्य ने किया। कॉ. रविशंकर मौर्य, लालता प्रसाद मौर्य व राममूर्ति मौर्य ने अपने विचार रखे। मल्लूपुर, पहितियापुर में भी शहीद भगत सिंह कों याद किया गया। 24 मार्च को रामपुर में कॉ. रामभुवन मौर्य की अध्यक्षता हुई श्रद्धांजलि सभा का संचालन सभाजीत पाल ने किया और कॉ. मिथिलेश मौर्य, दिलीप कुमार खरवार व दिनेशकांत मौर्य ने संबोधित किया। बबुरा गांव में शाम को केण्डिल मार्च व जनसभा की गई। इसकी अध्यक्षता श्री पंकज तिवारी ने की और संचालन कॉ. रामप्यारे ने किया। सभा को कॉ. मिथिलेश मौर्य, राजबहादुर विश्वकर्मा, रविप्रकाश सिंह, दिलीप कुमार खरवार, मनोज विश्वकर्मा व राम अजोर ने संबोधित किया।

बलिया(उ.प्र.) : 28 मार्च को शहीद भगतसिंह शहादत दिवस पर एआईडीवाईओ बलिया जिला ईकाई द्वारा माला गांव, नागरा में सभा का आयोजन किया गया।

हरियाणा

भिवानी : 23 मार्च को शहीद भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु व सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर एआईडीवाईओ व अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से स्थानीय नेहरू पार्क में स्मृति-सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता एआईडीवाईओ जिला सचिव सन्दीप मेहरा ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड रामफल थे। संचालन डी. वाई.ओ. के पवन जांगड़ा ने किया।

इसके अलावा ए.आई.एम.एस.एस. की तरफ से रफीकन और ए.आई.डी.एस.ओ. से रूपेश, पूजा और तोशाम के नवीन ने भी सभा को सम्बोधित किया।

सोनीपत : 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस पर आयोजित सभा के मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के हरियाणा राज्य सचिव कॉ. हरिप्रकाश थे। सभा की अध्यक्षता एआईडीवाईओ के जिलाध्यक्ष कॉ. देवेन्द्र सिंह ने की। संचालन एआईडीएसओ के जिला कमेटी सदस्य अमित कुमार ने किया। सभा को एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. ईश्वर सिंह राठी और एआईडीएसओ के जिला सचिव कॉ. प्रवीण नाहरा ने भी सम्बोधित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में 'महिला अदालत' नामक नाटक प्रस्तुत किया गया।

नारनौल : एआईडीवाईओ, संयुक्त कर्मचारी मंच तथा एआईयूटीयूसी के संयुक्त तत्वावधान में 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस पर स्थानीय पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाऊस के सामने स्मृति सभा की गई। सभा की अध्यक्षता मास्टर सूबे सिंह ने की। संचालन सतीश कुमार ने किया। सभा के मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) के जिला सचिव कॉ. ओमप्रकाश थे।

राजस्थान

जयपुर : 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस पर हुई सभा की अध्यक्षता फणी मणि ने की। संचालन कॉ. भूमिका ने किया। नृत्य व खेलकूद के विभिन्न कार्यक्रम किये गये। मुख्य वक्ता कुलदीप थे। बच्चों को पुरस्कार वितरित किये गए।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ...

(पृष्ठ 5 का शेष)

पटियाला : सभा को संबोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

पंजाब

पटियाला : 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस पर एआईडीएसओ और *शहीद अते (एवं) चिंतक यादगार कमेटी* के संयुक्त तत्वावधान में 26 मार्च को तर्कशील भवन, पटियाला में जनसभा की गई। सभा की अध्यक्षता यादगार कमेटी के संयोजक और एसयूसीआई(सी) के पंजाब प्रभारी प्रोफेसर अमीन्दर पाल सिंह ने की। सभा के मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सत्यवान थे। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने फिरकापरस्ती का विरोध किया और सही धर्मनिरपेक्षता को माना। 15 अगस्त 1947 को भारत के पूंजीपति राजसत्ता पर काबिज हुए। लूटेरे बदले पर लूट-खसोट अभी भी जारी है। आजादी आन्दोलन के दौरान भी फिरकापरस्त ताकतों ने लोगों की एकता को तोड़ा था। आज इन फूटपरस्त ताकतों को जनता से अलग-थलग करना होगा। मंच का संचालन इन्द्रजीत सिंह ने किया। सभा में डा. रजिन्द्र सिंह अटवाल, गवर्नमेंट सरहिन्दरा कॉलेज के छात्र हरप्रीत सिंह एआईडीएसओ के देश स्तरीय नेता शिवाशीष प्रहराज ने भी बात रखी।

दिल्ली

23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में एआईडीएसओ की दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई की सचिव कॉ. सौम्या ने नेतृत्व में उद्धरण प्रदर्शनी लगाई गई व साहित्य बिक्री की गई।

दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर : भगत सिंह शहीदी दिवस के अवसर पर 25 मार्च को एआईडीएसओ, एआईडीवाईओ व एआईएमएसएस की स्थानीय इकाई द्वारा वृजविहार में जनसभा की गई। इसका संचालन एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य सचिव कॉ. श्रेया सिंह ने किया। एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य कॉ. सीता सिंह व एआईडीवाईओ के दिल्ली राज्य उपाध्यक्ष कॉ. प्रभाष, मुख्य वक्ता के रूप में एसयूसीआई (सी) के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य कॉ. गिरवर सिंह आदि ने बात रखी।

नांगलोई : एआईडीएसओ की नांगलोई इकाई द्वारा एक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन कर शहीद-ए-आजम भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस मनाया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। संचालन एआईडीएसओ की नांगलोई इकाई की अध्यक्ष कॉ. सुमन व इकाई के सचिव सुनील ने किया। मुख्य अतिथि एआईडीएसओ के दिल्ली राज्य उपाध्यक्ष कॉ. राहुल सरकार ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिये व आयोजकों को बधाई दीं।

बिहार

पटना : 26 मार्च को भगत सिंह शहादत समारोह कमिटी के तत्वावधान में स्थानीय लंगरटोली चौराहे पर शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत समारोह आयोजित हुआ।

समारोह को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (सी) कॉ. राजकुमार चौधरी ने कहा कि आजादी आंदोलन के दौरान देश के क्रांतिकारियों-स्वतंत्रता सेनानियों ने जाति, मजहब से ऊपर उठकर कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन-शोषण के खिलाफ संघर्ष किया, अपना खून बहाया, अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि आज देश का सत्ताधारी वर्ग अंग्रेजों की ही 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तर्ज पर देश की जनता को आपस में बांटकर लड़वा रहा है ताकि जन समस्याओं के खिलाफ जनता संगठित होकर आंदोलन न खड़ा कर दे। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए सत्तर साल हो गये। लेकिन भगत सिंह समेत अनगिनत क्रांतिकारी शहीदों द्वारा देखा गया जनमुक्ति का स्वप्न आज भी अधूरा है। शासक वर्ग एक साजिश के तहत आजादी आंदोलन के महापुरुषों व क्रांतिकारियों को समाज से मिटाने की नापाक साजिशें रच रहा है ताकि छात्र-युवा इन महापुरुषों के जीवन-संघर्षों से प्रेरणा न ले सके और समाज में शोषण-जुल्म, अन्याय का यह सिलसिला यूँ ही चलता रहे।

समारोह को एसयूसीआई (सी) राज्य कमिटी सदस्य कॉ. मणिकांत पाठक, वैद्य सुभाषचन्द्र दूबे, मजदूर नेता जितेन्द्र कुमार, छात्र नेता निकोलाई शर्मा आदि लोगों ने भी संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता भगत सिंह शहादत समारोह कमिटी के अध्यक्ष शौकत अली जबकि संचालन कमिटी के सचिव संतोष कुमार ने किया। समारोह में शिमला मौर्य और सौरव दासगुप्ता ने देशभक्ति-जनवादी गीत गाये।

गढ़पुरा, बेगूसराय : 23 मार्च को एआईडीवाईओ के तत्वावधान में स्थानीय थाने के पास आयोजित शहीद भगत सिंह शहादत समारोह को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य कमिटी सदस्य कॉ. राजकुमार चौधरी ने कहा कि आज भी भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के जाज्वल्यमान सितारे और नायक के रूप में करोड़ों भारतीयों के दिलों में विराजमान हैं। उनके प्रिय नारे 'इंकलाब जिन्दाबाद!,''साम्राज्यवाद का नाश हो!','दुनिया के मजदूरों एक हो!' आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं।

एसयूसीआई (सी) बेगूसराय जिला इंचार्ज कॉ. रामपुकार विद्यार्थी, जयप्रकाश मालाकार, धर्मेन्द्र कुमार, राम प्रवेश वर्मा, सत्यनारायण चौधरी, राकेश कुमार, वकील प्रसाद वर्मा, विश्वम्भर प्रसाद, पूनम देवी, इन्दिरा देवी आदि ने भी समारोह को संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता एआईडीवाईओ बखरी अनुमंडल इंचार्ज कॉ. वरूण कुमार ने की।

समाज के किसी क्षेत्र में...

(पृष्ठ 3 का शेष)

सक्रिय भूमिका निभाने की जगह पहुँच गई हूँ।

जिला सोवियत के चेयरमेन का काम कोई आसान बात नहीं है। जिला सोवियत के बजट की मात्रा 3 करोड़ 30 लाख रूबल हैं। पार्क बनाने और उनका रख-रखाव करने, वृक्षारोपण करने, कूड़े-कचरे के निपटारे और साफ-सफाई करने, सड़कें बनाने, स्थानीय कल-कारखाने लगाने, जन स्नानागार और धोबी घाट बनाने सहित और भी बहुत सारे सामाजिक कामों की सीधी जिम्मेदारी जिला सोवियतों को निभानी होती है। इन सबके अलावा भी चेयरमेन के रूप में मुझे जिला आयोग दफ्तर, जन-शिक्षा दफ्तर के अंतर्गत आने वाले 46 स्कूलों और जिला स्वास्थ्य बोर्ड के कामकाज का भी निरीक्षण करना होता है।

अकेले मैं ही नहीं, बल्कि सोवियत यूनियन में आज इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पर अनेक महिलाएं काम कर रही हैं। भविष्य में और भी ज्यादा करेंगी।

फासीवादी तत्व मानते हैं कि लड़कियाँ निकम्मी होती हैं। वे तो सिर्फ घरेलू कामकाज और बच्चे पालने का काम ही भली-भांति कर सकती हैं। सोवियत समाज में नारी का स्थान इस सिद्धांत के विरुद्ध जोरदार जवाब है।

रूस में शिक्षा के विस्तार में गत शताब्दी में जिस महान रूसी जनवादी एन. चेरनिश्वेस्की ने अमूल्य भूमिका निभाई थी, उन्होंने लिखा है-''नारी को जो विश्वस्त, शक्तिशाली एवं गंभीरता सम्पन्न मन प्रकृति ने प्रदान किया है, वह समाज के किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं हो पाया है। बल्कि समाज ने इस मन को एक तरफ फेंक दिया है, इसको पददलित करके इसकी हत्या की गई है। इस मन को अगर सही तरह से इस्तेमाल किया होता, तो मनुष्य का इतिहास प्रगति के रास्ते दस गुनी तेज रफ्तार से आगे जाता।''

यूएसएसआर में सोवियत नारी के मन व कार्यक्षमता को सामाजिक हित में काम में लगाने के साथ-साथ उसका इस्तेमाल नारी समाज की ही प्रगति के लिए किया गया है।

कार्ल मार्क्स स्मृति सभा

गुना (मध्य प्रदेश) : विश्व सर्वहारा के महान नेता कार्ल मार्क्स के स्मृति दिवस पर 14 मार्च को स्थानीय भगत सिंह लाईब्रेरी में एसयूसीआई(सी) के जिला प्रभारी कॉ. प्रदीप आर.बी. की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

हजारीबाग (झारखण्ड) : एआईएमएसएस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहां दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 7 मार्च को एक रैली की गई और फिर छठ तालाब पर एक सभा की गई। सभा को संगठन की अखिल भारतीय कार्यालय सचिव कॉमरेड महुआ नंदा और झारखण्ड राज्य उपाध्यक्ष कॉ. सोनका महतो ने सम्बोधित किया। 8 मार्च को एआईएमएसएस हजारीबाग सांगठनिक कमेटी गठित की गई जिसकी अध्यक्ष कॉ. निर्मला शर्मा, सचिव रिद्धिमा और कोषाध्यक्ष कविलास देवी चुनी गई।

इलाहाबाद (उ.प्र.) : 8 मार्च –अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एआईएमएसएस द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। विषय था ''अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रासंगिकता और नवम्बर क्रांति का महिलाओं के जीवन में योगदान''। इस विषय पर महिलाओं ने खुल कर चर्चा की।

चर्चा की शुरूआत डॉ. कल्याणी रायचौधरी ने की। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अर्थ महिलाओं को फूलों के गुच्छे देना, उपहार देना या दावत देना नहीं है, बल्कि महिलाओं के बराबर के हक, उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिये लड़ाई लड़ना है। मां और शिक्षक दोनों का दायित्व है कि वे बचपन से ही लड़कियों को जागरूक बनाएं।

ज्ञानशीला शर्मा व संगठन की प्रदेशाध्यक्ष रश्मि मालवीय ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर गोष्ठी में गीता त्रिपाठी, राजलक्ष्मी, प्रथमा सिन्हा, उत्तरा सिंह, प्रियंका सिंह, संध्या, रागिनी पटेल, संगीता सिंह, सुधा त्रिपाठी, इन्दु यादव, कृष्णा मित्र, संध्या गुप्ता, सुष्मिता आदि ने भी भाग लिया।

एआईकेकेएमएस ने सौंपा ज्ञापन

कोसली (हरियाणा) : 29 मार्च को ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन(एआईकेकेएमएस) के कार्यकर्ताओं ने सरसों व अन्य फसलों की सरकारी खरीद तुरंत प्रभाव से करने और लागत मूल्य से 50 प्रतिशत बढ़ा कर लाभकारी मूल्य देने की मांग पर मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन मण्डी सचिव भाकली(कोसली) की मार्फत भेजा। प्रधान कर्णसिंह ने अगुआई की। संगठन के प्रदेश सह सचिव कॉमरेड रामकुमार ने कहा कि किसानों के गाढ़े खून-पसीने की कमाई उनकी फसलों की सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं की गई है। किसान अपनी फसलों को औने-पौने दामों पर प्राइवेट कम्पनियों व बिचौलियों को बेचने पर मजबूर किये जा रहे हैं। उनको सरासर लूटा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं को जल्द हल नहीं किया गया तो संगठन द्वारा आन्दोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर संगठन के जिला कमेटी सदस्य अमर सिंह राजपुरा, रामफल भाकली, राजवीर, महेन्द्र, भोलाराम, सुरेन्द्र, मांगेराम व संगठन के सलाहकार कैप्टन महासिंह भी उपस्थित थे। **तोशाम** जिला भिवानी में भी सरसों व अन्य फसलों की सरकारी खरीद तुरंत प्रभाव से करने और लाभकारी मूल्य देने की मांग पर एआईकेकेएमएस की ओर से 28 मार्च को सीएम के नाम ज्ञापन एसडीएम की मार्फत भेजा गया। ज्ञापन देने वालों में संगठन के जिला सचिव कॉ. रोहतास सैनी, सुखबीर सिंह, उदयवीर, राजकुमार आदि कई किसान शामिल थे।

सोवियत संघ के संविधान के प्रसंग में..

(पृष्ठ 4 का शेष)

ऐसे समाज में ही संभव है जहां परस्पर विरोधी वर्ग अस्तित्व में हों जिनके आपसी वर्ग हित विरोधी और शत्रुतापूर्ण हों और जो एक-दूसरे के हितों के कट्टर विरोधी हों जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के हितों में टकराव है। जमीदारों और श्रमिक वर्ग के हितों में टकराव है। जमीदारों और किसानों में वर्ग संघर्ष इत्यादि। लेकिन सोवियत संघ में अब ऐसे वर्ग नहीं रह गए हैं जैसे पूंजीपति, जमीदार, कुलक इत्यादि। सोवियत संघ में अब केवल दो ही वर्ग अस्तित्व में हैं श्रमिक और किसान जिनके वर्ग हित आपस में शत्रुता पूर्ण होने के बजाय इसके विपरित एक-दूसरे के पोषक और मित्रतापूर्ण हैं। इसलिए सोवियत संघ में विभिन्न राजनैतिक दलों के अस्तित्व में होने का कोई आधार नहीं है और इसी के नतीजतन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों को खुली छूट का भी कोई आधार नहीं बचता। अत: सोवियत संघ में मात्र एक पार्टी के अस्तित्व का आधार बनता है कम्युनिस्ट पार्टी। यू.एस.एस.आर. में मात्र एक ही पार्टी अस्तित्व में रह सकती है और वह है कम्युनिस्ट पार्टी जो साहस के साथ श्रमिक और किसान वर्ग के हितों का शुरू से आखिरी हद तक संरक्षण करती है। इसमें कोई शक नहीं कि यह पार्टी शिद्दत से इस वर्ग के हितों का संरक्षण करती है।

जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत के प्रारूप पर जो राष्ट्रव्यापी चर्चा-बहस हुई है-उसने काफी बड़ी संख्या में कई परिशिष्ट और संशोधनों को जोड़ा है और यह सारा कुछ सोवियत समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित हुआ है। इतनी भारी तादाद में आए हुए संशोधनों के मद्देनजर और इस तथ्य को जानते हुए कि सभी संशोधन समान महत्व के नहीं हैं इसलिए मेरी राय में इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए।

पहली श्रेणी के संशोधनों की खास विशेषता यह है कि वे संवैधानिक सवालों से सरोकार नहीं रखते बल्कि वे सवाल जो रोजमर्रे के कानूनी कामकाज के दायरे में आते हैं या फिर भविष्य की वैधानिक समितियों के दायरे में आते हैं।

दूसरी श्रेणी के उन संशोधनों और परिशिष्टों के लिए होनी चाहिए जो संविधान में ऐतिहासिक संदर्भ के तत्वों को लाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर सोवियत घोषणाओं के वे संबंधित तत्व जिसे सोवियत शक्ति ने अब तक हासिल नहीं किया है और जो उसे भविष्य में हासिल करना है।...

मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के संशोधनों और परिशिष्टों को अलग दायरे में रखना चाहिए क्योंकि इनका प्रत्यक्ष असर संविधान पर नहीं होता है। जहां तक बाकी तीसरी श्रेणी के संशोधनों का सवाल है यहां बहुत अधिक भौतिक महत्व की बातें हैं। और मेरी राय में इस पर कुछ बात जरूर होनी चाहिए।

1) सबसे पहले तो संविधान प्रारूप के अनुच्छेद-1 में संशोधन पर... इसमें चार संशोधन हैं...प्रस्ताव है कि हम इन शब्दों में बदलाव करें..''श्रमिकों और किसानों का राज्य''. ..क्या इन संशोधनों को स्वीकार किया जाना चाहिए? मैं सोचता हूं नहीं किया जाना चाहिए... संविधान प्रारूप का अनुच्छेद-1 किस बारे में बात करता है? यह सोवियत समाज की वर्ग संरचना के बारे में बात करता हैं। क्या हम मार्क्सवादी, संविधान के अंदर, हमारे समाज की संरचना के सवाल को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं हम नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि सोवियत समाज में दो वर्ग श्रमिक और किसान शामिल हैं और इसी बारे मे संविधान का प्रारूप अनुच्छेद-1 बात करता है।...यहां यह पूछा जा सकता है कि कामकाजी बुद्धिजीवियों के बारे में क्या कहेंगे? बुद्धिजीवी कभी भी एक वर्ग का नहीं था और कभी एक अलग वर्ग का नहीं हो सकता-यह तबका पहले भी था और आगे भी रहेगा जो समाज के हर तबकों से सदस्य भर्ती करता है। पुराने जमाने में बुद्धिजीवी तबके के सदस्य अक्सर बड़े घरानों से आते थे, ज्यादातर बुर्जुआ वर्ग से, कुछ हद तक किसान तबके से और नगण्य तादाद में श्रमिक वर्ग से, लेकिन अब हमारे जमाने में सोवियत के राज्य में बुद्धिजीवी तबका मुख्य रूप से श्रमिक और किसान वर्ग से आता है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुद्धिजीवी तबके के सदस्य कहां से भर्ती होकर आते हैं और इसका क्या चरित्र है, बुद्धिजीवी फिर भी एक श्रेणी है न कि वर्ग। क्या ये परिस्थितियां कामकाजी बुद्धिजीवियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं? नहीं, जरा भी नहीं। संविधान के प्रारूप का अनुच्छेद-1 न सिर्फ सोवियत समाज की विभिन्न श्रेणियों के अधिकारों की बात करता है इस समाज की विभिन्न वर्ग संरचना पर भी बात करता है। सोवियत समाज की विभिन्न श्रेणियों के अधिकारों के बारे में जिसमे कामकाजी बुद्धिजीवी भी शामिल हैं जिसे संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 10 और 11 में वर्णित किया गया है।

2) फिर... संविधान संशोधन का एक प्रस्ताव यह सुझाव रखता है कि हम अनुच्छेद 17 को पूरे तौर पर हटा दें जो संघीय गणराज्यों के इस अधिकार को सुरक्षित रखता है कि वे सोवियत संघ से अपने को अलग करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव गलत है और इसलिए इसे कांग्रेस द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यूएसएसआर संघीय गणराज्यों का समान अधिकारों पर आधारित एक स्वेछिक संघ है। संविधान से इस अनुच्छेद को हटाने जिसमें संघीय गणराज्यों को यूएसएसआर से अपने को अलग करने की आजादी का अधिकार देने वाले अनुच्छेद को हटाने का मतलब होगा सोवियत संघ के स्वेच्छिक चरित्र का ही उल्लंघन करना। क्या हम इस कदम पर सहमत हो सकते हैं? मुझे लगता है कि हम नहीं हो सकते हैं और हमें होना भी नहीं चाहिए। यह कहा जाता है कि यूएसएसआर में एक भी ऐसा गणराज्य नहीं है जो सोवियत संघ से अलग होना चाहेगा, इसलिए अनुच्छेद-17 की कोई व्यवहारिक प्रासंगिता ही नहीं रह गई है। हां, यह सही है, वाकई सही है कि ऐसा एक भी गणराज्य नहीं है जो यूएसएसआर से अलग होना चाहता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि संविधान में हम संघीय गणराज्यों के पूर्णतया मुक्त रूप से अपने निर्णय के आधार पर यूएसएसआर से अलग होने के अधिकार को सुरक्षित न रखें। ...

3) अंतत: एक और संशोधन है जो थोड़ा कम या ज्यादा भौतिक महत्व का है। मैं यहां पर संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 135 पर संशोधन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इसका प्रस्ताव यह है कि धर्म के मंत्री, भूतपूर्व व्हाइटगार्ड, सभी पुराने अमीर या प्रभावशाली लोगों और उन लोगों को जो सामाजिक तौर पर उपयोगी कार्यों में नहीं लगे हैं उन्हें मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए। ज्यादा हुआ तो इस श्रेणी के लोगों को अधिकार चुनाव में मत देने के अधिकार तक सीमित रखा जाए, न कि चुनाव में निर्वाचित होने का अधिकार दिया जाए। मुझे लगता है इस प्रस्तावित संशोधन को भी खारिज कर दिया जाए। सोवियत सत्ता ने शोषक और नकारा तत्वों को कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर मताधिकार से वंचित किया था, न कि हमेशा के लिए। एक समय था जब इन तत्वों ने लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और सोवियत कानूनों का सक्रिय रूप से प्रतिरोध किया था, और इसी प्रतिरोध का जबाव था कि उन्हें सोवियत कानून द्वारा मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से एक लम्बा दौर गुजर चुका है। इस लम्बे दौर में हम शोषक वर्ग का पूरे तौर पर खात्मा करने में कामयाब रहे हैं और सोवियत शक्ति एक अजेय शक्ति के रूप में सामने आई है। तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम इस कानून की पुन: जांच-परख करें? मुझे लगता है अब वह समय है। कहा जा रहा है कि यह खतरनाक है क्योंकि ये तत्व सोवियत शक्ति के लिए शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं। इनमें से कुछ भूतपूर्व व्हाइटगार्ड, कुलक, पुजारी इत्यादि हैं। इनको चुनाव में निर्वाचित होने का अधिकार देने से ये देश की सर्वोच्च शासन की बॉडियों में घुसपैठ बनाने का रास्ता तलाशेंगे। लेकिन डर की क्या बात है? यह तो वही बात हुई कि अगर भेड़िये से डर लगता हो तो जंगल से दूर रहो...पहली बात तो यह है कि अब सारे ही पूर्ववर्ती कुलक, व्हाइटगार्ड और पुजारी सोवियत शक्ति के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं रखते। दूसरी बात, अगर हमारे देश के लोग कुछ स्थानों पर ऐसे शत्रुतापूर्ण लोगों को जिताते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रचार अभियान बुरे स्तर से संगठित किया गया है और हम इस अपमान को झेलने के ही लायक हैं, हां लेकिन अगर हमारा प्रचार कार्य पूरे तौर पर बोल्शेविक तरीके से किया गया होगा तो हमारे देश की जनता कभी भी ऐसे शत्रुतापूर्ण लोगों को देश की सर्वोच्च शासन बॉडियों में घुसपैठ नहीं बनाने देगी।...

पांच महीने तक चलने वाली देशव्यापी चर्चा बातचीत को जांचते हुए कहा जा सकता है कि संविधान का प्रारूप वर्तमान कांग्रेस के द्वारा पारित होगा।

यह एक ऐसा दस्तावेज होगा जो इस सच की गवाही देगा कि पूंजीवादी देशों के लाखों-लाख ईमानदार लोग जिस समाज का सपना देखते हैं जो आज भी उनके लिए मात्र सपना है वह सोवियत संघ में हकीकत है...

सोवियत संघ का यह नया संविधान उन लोगों को नैतिक बल देगा, वास्तविक आधार देगा जो लड़ रहे हैं, जो आज लड़ रहे हैं फासीवादी बर्बरता के खिलाफ।

उससे भी अधिक बड़े महत्व की चीज है सोवियत संघ का यह संविधान सोवियत जनता के लिए ही है। जहां सोवियत संघ (यूएसएसआर) का संविधान पूंजीवादी देशों की जनता के लिए एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में महत्वपूर्ण है, वहीं सोवियत संघ की जनता के लिए यह उनके संघर्षों के निचोड़ के रूप में पूरी मानव जाति की मुक्ति के लिए संघर्ष में उनकी विजयों के सारांश के रूप में महत्वपूर्ण है। ... यह हमारे मजदूर वर्ग, हमारे किसानों, को, हमारे कामकाजी बुद्धिजीवियों को वैचारिक तौर पर मजबूत बनायेगा। उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा।

... यह हमारी ताकत पर भरोसे को बढ़ाता है और साम्यवाद की नई-नई विजयों को हासिल करने के लिए नवीनतम संघर्षों की खातिर हमें प्रेरित करता है।

कॉ. शंकर साहा का भाषण

(पृष्ठ 1 का शेष)

हम इस तरह की एकजुटता सभाएं आयोजित कर सकते हैं लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि आज दुनिया के तमाम देशों में पूँजीवाद कायम हो चुका है। यह मानी हुई बात है कि जब तक शोषण पर आधारित यह पूँजीवादी व्यवस्था कायम है, तब तक अन्याय बरकरार रहेगा। हमें मूल रूप से इसके खिलाफ ही संघर्ष करना है। भारतीय जनता अगर एकजुटता का इजहार करना चाहती है तो क्या सिर्फ एक सभा आयोजित करना काफी है? भारतीय मजदूर वर्ग अगर पूँजीवाद-साम्राज्यवाद के विरुद्ध दुनिया के अन्य देशों की शोषित-पीड़ित जनता के साथ मिलकर कर संघर्ष करे, तो यह इस्राइल की दबंगई और कब्जे के खिलाफ असल संघर्ष होगा। आज अमेरिका के 60% शस्त्र उद्योग में इस्राइल एक बड़ा हिस्सेदार है। वह एक निर्णायक शक्ति है और इस शक्ति को दुनिया के तमाम देशों के मजदूर वर्ग के द्वारा परास्त किया जाना है– यह समझदारी हमें होनी चाहिए। अपनी भूमि की रक्षा के लिए और अपनी भूमि पर नाजायज कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीन की बहादुर जनता संघर्ष कर रही है, प्रतिरोध कर रही है। डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के हमारे महासचिव कॉमरेड मेबरिकोव फिलिस्तीन गए थे। वे संघर्ष के मैदान में थे। वहाँ उनकी जान भी जा सकती थी। इसी भावना की विरासत डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के पास अपने जन्मकाल 1945 से ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं। हमें यह भी सोचना है कि दुनिया भर में क्या स्थिति है। आज पूँजीवादी-साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया है। पूँजीवाद-साम्राज्यवाद मेहनतकश जनता का घोर दुश्मन है। पूँजीवादी शोषण-व्यवस्था मजदूरों की दुश्मन है। अगर हम फिलिस्तीनी जनता के प्रति जरा सी भी एकजुटता का इजहार करना चाहते हैं, तो हमें पूँजीवाद-साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करना ही होगा। हमें सिर्फ अपनी आर्थिक मांगों के लिए ही नहीं लड़ना है, जैसा कि आज कुछ ट्रेड यूनियनें लड़ रही हैं कि हमें और भी सुविधाएं दो। 'हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है' – यह आजकल उनका नारा बन गया है और बहुत से ट्रेड यूनियन नेता इसे बढ़ावा देते हैं। असल में हम मजदूर उजरती गुलाम हैं। हमें शोषण के स्रोत के खिलाफ संघर्ष करना है। इसी तरह, हम फिलिस्तीनी जनता का साथ दे सकते हैं जो आये दिन अपनी जान कुर्बान कर रही है, वह भी सिर्फ अपना घर बचाने के लिए। पता नहीं कल उनका घर रहेगा भी या नहीं। बहुत सारी चीजें तबाह कर दी गई हैं। बाकी जो कुछ बचा-खुचा है, उसको तबाह करने की तैयारी है। हमें वैसे ही असल मायने में अपनी एकजुटता को क्रियान्वित करना है जैसे कि दूसरे विश्वयुद्ध के समय साम्राज्यवादी देशों – इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि के मजदूरों ने अपनी एकजुटता दिखाई थी। जब जर्मनी ने यू.एस.एस.आर. पर हमला किया था, तो इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि के मजदूरों ने कह दिया था कि सोवियत रूस के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किये जाने वाले किसी भी साजोसामान का वे जहाज या रेलगाड़ी में न तो लदान करेंगे और न ही उतारेंगे। यह थी असल एकजुटता। फिलहाल हम ऐसी ही एकजुटता की उम्मीद करते हैं। आइए, इस पहलू के बारे में अपने मजदूरों को शिक्षित करें और उन्हें इस काबिल बना दें कि असल मायने में ही वे फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुट हो सकें। इतना कह कर ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Publication : April 5, 2017

सर्वहारा दृष्टिकोण

7 से 21 अप्रैल 2017

यू.पी. में बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव पर एसयूसीआई(सी) ने जतायी चिंता

25 मार्च 2017 को एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने उत्तर प्रदेश बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए निम्न वक्तव्य जारी किया :

उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के बनने के तुरंत बाद वहाँ साम्प्रदायिक तनाव में आये अचानक उभार को सारा देश बड़ी-वेदना के साथ देख रहा है। खासकर जैसा कि मीडिया में बताया गया है शासन के उस आदेश के बाद जिसमें कम से कम 36 बूचड़खानों और सैकड़ों मीट की दुकानों को सील करने को कहा गया है। इसके चलते इनसे जुड़े हुए हजारों कामगार बेरोजगार हो गये हैं और अब तक हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। यू.पी. सरकार की यह कार्रवाई इन गंभीर आशंकाओं को पैदा कर रही है सामाजिक-राजनैतिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा को भी एक खास हिन्दू नजरिये में ढाला जा रहा है और इस प्रकार देश में अब तक धर्मनिरपेक्षता के बचे-खुचे माहौल को भी खत्म किये जाने का खतरा है। लोकतंत्र की न्यूनतम समझ रखने वाला आदमी भी पुरजोर आवाज में कहेगा कि कोई क्या खायेगा यह दूसरों द्वारा तय नहीं किया जा सकता है, एक लोकतांत्रिक ढाँचे में सरकार द्वारा निर्देशित किये जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यू.पी. सरकार के उपरोक्त आदेश ने इस व्यवसाय से सम्बंधित लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अलावा यह न केवल 50 से अधिक देशों में मीट के निर्यात को ही प्रभावित करेगा बल्कि चमड़े और इससे जुड़े उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित होंगे और इस तरह यह देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा।

संघ परिवार द्वारा राम मंदिर का मुद्दा उठाये जाने के साथ-साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उपकुलपति का पुतला फूंका गया है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय प्रोफेसर को बचा रहे हैं, जिसने एबीवीपी के आरोप के अनुसार मौजूदा सरकार की काश्मीर नीति के खिलाफ असंतोष को हवा दी है। जबकि उपकुलपति ने इसका बार-बार खण्डन किया है

बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ एसयूसीआई (सी) ने किया प्रतिवाद मार्च

पटना : बिजली दरों में की गयी वृद्धि के खिलाफ जुलूस निकालते हुए एसयूसीआई कार्यकर्ता

पटना (बिहार) : 'बिहार सरकार द्वारा बिजली दरों में की गयी वृद्धि जनविरोधी और मजदूर-किसान विरोधी है। राज्य की जनता पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त है। ऊपर से बिजली दर वृद्धि से उसकी कमर ही टूट जायेगी। इसके पहले ही राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्युत बोर्ड को विखंडित कर उसे टुकड़े-टुकड़े में बांटकर उसका निजीकरण कर दिया गया है। नतीजतन राज्य में बिजली क्षेत्र में निजी कंपनियों की मनमानी चल रही है।''

उक्त बातें बिजली दरों में की गयी बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ 27 मार्च को प्रतिवाद मार्च के पश्चात् आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) नेताओं ने कही। नेताओं ने कहा कि डपोरशंखी बिहार सरकार केन्द्र सरकार की ही राह पर चलते हुए जनविरोधी विद्युत कानून 2003 लागू कर रही है। नेताओं ने बिजली दरों में की गयी बेतहाशा वृद्धि का निर्णय अविलंब वापस लेने की मांग की। साथ ही नेताओं ने बिजली के निजीकरण-व्यवसायीकरण पर रोक लगाने तथा विद्युत कानून 2003 रद्द करने की भी मांग की।

इसके पूर्व पटना के जे.पी. गोलंबर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो भगत सिंह चौक पर आकर सभा में तब्दील हो गया।

सभा को संबोधित करने वालों में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमिटी सदस्य कॉ. एम के पाठक, कॉ. राजकुमार चौधरी, कॉ. सूर्यकर जितेन्द्र एवं एआईएमएसएस नेत्री कॉ. अनामिका शामिल थे।

वाम दलों की संयुक्त सभा

भोपाल: सभा को संबोधित करते हुए कॉ. प्रताप सामल

भोपाल (मध्य प्रदेश) : साम्प्रदायिक बीजेपी की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ 7 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एसयूसीआई(सी), सीपीआई, सीपीएम की संयुक्त सभा हुई। दूसरे वाम दलों के नेताओं के अलावा पार्टी की मध्य प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने सभा को सम्बोधित किया। पार्टी के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड सत्यवान भी उपस्थित थे।

गरीबों की जमीन बिना मुआवजा दिये छीने जाने का किया विरोध

जबलपुर (म.प्र.) : 25 मार्च को अधारताल में एसयूसीआई(सी) द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें अभी हाल ही में विधानसभा में मास्टर प्लान के तहत गरीब किसानों की जमीन को बिना मुआवजा दिये जबरन अधिग्रहण किये जाने के लाये गये काले कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) की जबलपुर प्रभारी चंद्रा पात्रा ने कहा कि सरकारें लगातार जनविरोधी काले कानून बनाते जा रही हैं। इस कानून के तहत लोगों की जमीन को भी सरकार छीन कर बड़ी-बड़ी कम्पनियों को अपने मास्टर प्लान के तहत इस्तेमाल करने देगी। उस जमीन का किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा। यह प्रस्ताव घोर जनविरोधी है। इसका एसयूसीआई(सी) की ओर से कड़ा विरोध किया गया।

साथ ही इस बात पर भी गहरी चिंता प्रकट की गई कि अभी कुपोषण के मामले में म.प्र. अग्रणी प्रदेशों में है जहां बच्चों और बड़ों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में 3800 टन गेहूं गोदाम में पड़े-पड़े सड़ जाना शासन की घोर लापरवाही का नतीजा है। यह एक आपराधिक घटना है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से राशन वितरण की उचित व्यवस्था लागू करने की मांग की। प्रदर्शन को एसयूसीआई(सी) के प्रदेश कार्यालय सचिव कॉमरेड उमाप्रसाद ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने सरकार की गरीब किसान-मजदूर विरोधी नीतियों व कदमों के खिलाफ एकजुट होकर जोरदार आन्दोलन संगठित करने की अपील की। प्रदर्शन को एआईडीएसओ के प्रदेशाध्यक्ष मुदित भटनागर के अलावा श्री राधेश्वर ने भी सम्बोधित किया।

तमिलनाडू के आन्दोलनकारी किसानों को दिया एआईकेकेएमएस ने समर्थन

नई दिल्ली : 31 मार्च को ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन(एआईकेकेएमएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान के साथ संगठन की हरियाणा प्रदेश कमेटी के सचिव कॉमरेड जयकरण मांडौठी और बिहार प्रदेश कमेटी के सचिव कॉमरेड अशोक कुमार सिंह, तीनों नेता जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तमिलनाडू के आंदोलनकारी किसानों से मिले। उनकी मांगों व समस्याओं पर चर्चा करने के उपरांत उन्हें सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, फसलों के लाभकारी मूल्य और सूखा से राहत देने की मांगें शत-प्रतिशत जायज हैं। इन मांगों पर उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को अपना खुला समर्थन दिया। कावेरी नदी जल बंटवारे का सर्वमान्य न्यायोचित हल निकालने की मांग करते हुए उन्होंने तमिलनाडू राज्य में पड़े सूखे की समस्या का समाधान कर सिंचाई व पेयजल की कारगर व्यवस्था करने पर जोर दिया व सूखा राहत पैकेज देने की मांग की। उन्होंने केन्द्र व प्रदेश सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि तमिलनाडू के संघर्षरत किसानों की समस्याओं का यदि शीघ्र अतिशीघ्र समाधान नहीं किया गया तो किसान खेत मजदूर संगठन द्वारा सक्रिय रूप से उनके पक्ष में देशभर में आवाज उठाई जायेगी।

झारखण्ड में छात्रवृत्ति में कटौती के खिलाफ छात्र आन्दोलन की राह पर

हाल ही में झारखण्ड राज्य सरकार ने एस सी-एस टी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को वर्षों से दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि में भारी कटौती कर दी है। बी.एड. की पढ़ाई के लिए छात्र-छात्राओं को 50 हजार रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती थी जिसे अब घटाकर 15 हजार रुपये सालाना करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे गरीब व कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई आगे जारी रखना मुश्किल हो गया है। ऑल इण्डिया डीएसओ की ओर से इस छात्र-विरोधी निर्णय का विरोध किया गया। 25 मार्च को संगठन के आह्वान पर राज्य के सभी बी.एड. कॉलेजों में हड़ताल ऐतिहासिक रूप से सफल हुई। इसके बाद विभिन्न जिला मुख्यालयों पर छात्र-छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किये गए। 28 मार्च को राजधानी रांची स्थित सचिवालय व राजभवन पर हजारों छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया। कल्याण मंत्री और राज्य सरकार की ओर से 1 अप्रैल तक समास्या हल करने का आश्वासन दिया गया। 3 अप्रैल को झारखण्ड के सभी विश्वविद्यालयों-रांची विश्वविद्यालय, सिधू कानू विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यसलय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में एक साथ तालाबंदी की गई और वाइस चांसलर का घेराव किया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आन्दोलनकारी छात्रों पर हमला किया। एआईडीएसओ के परचम तले छात्र आन्दोलन जारी है।

रांची : राजभवन पर विशाल प्रदर्शन करते हुए छात्र

शराबबंदी की मांग ने जोर पकड़ा

दुर्ग (छ.ग.) : शराब की भट्टियां बंद करने और राज्य में पूर्ण शराबबंदी करने की मांग को लेकर 30 मार्च को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन, एआईडीवाईओ, छ.ग. राज्य शराब-विरोधी एक्शन कमेटी के द्वारा दुर्ग जिला में जेवरा सिरसा गांव में जलसा-जुलूस कर शराबखोरी को बढ़ावा देने वाली राज्य सरकार का पुतला फूंका।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com

फोन नं. : 011-25726631, 9868350503